फरवरी 2019

मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

संरक्षक
श्री कमलेश्वर पटेल
मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास

प्रबंध सम्पादक
उर्मिला शुक्ला

समन्वय
म.प्र. माध्यम

परामर्श
अशोक कुमार चौहान
डॉ. विनोद यादव

सम्पादक
रंजना चितले

सहयोग
अनिल गुप्ता

वेबसाइट
आत्माराम शर्मा

आकल्पन
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

इस अंक में...

5 ▸ ग्रामों की स्वायत्तता ही शक्तिशाली लोकतंत्र

7 ▸ जनप्रतिनिधि प्रशिक्षित होंगे, तो गांव के विकास के लिए प्लान भी बेहतर...

13 ▸ सभी ग्राम पंचायतों में पात्र किसानों की सूची लगाई जाए

21 ▸ ग्राम पंचायतों में विकास का अधिकार ग्राम सभा को दिया जायेगा

22 ▸ गौ-शाला नीति का मसौदा तैयार गौ-शाला विधेयक पर काम शुरू

23 ▸ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग प्रोजेक्ट गौ-शाला का नोडल विभाग

30 ▸ ओडिशा में गरीबी उन्मूलन में साधक बनी मनरेगा

31 ▸ त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को सशक्त बनाया जायेगा

35 ▸ मुख्यमंत्री ने किया पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अनावरण

34 ▸ मुख्यमंत्री ने बच्चों को अपने हाथ से खिलाया खाना

35 ▸ पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने फहराया ध्वज, ली सलामी

36 ▸ बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना में अव्वल रहा मध्यप्रदेश

37 ▸ अपर मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कांफ्रेंस में दिये गये निर्देश

38 ▸ युवा ग्राम शक्ति समिति गठित किए जाने के निर्देश

चिट्ठी-चर्चा

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का जनवरी 2019 का अंक पढ़ा। मध्यप्रदेश में विगत दिनों विधानसभा चुनाव सम्पन्न हुए। नई सरकार का गठन किया गया। नये मंत्रिमण्डल के सदस्यों से पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण जन परिचित हों, इसके लिये पंचायिका में नवनियुक्त मंत्रियों का संक्षिप्त जीवन परिचय प्रकाशित किया गया है। यह एक उत्तम कार्य है। इसके अलावा पत्रिका में माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल का साक्षात्कार भी प्रकाशित किया गया है। इस साक्षात्कार से ग्रामीणजन विभागीय मंत्री के विजन से परिचित हो सकेंगे। यह साक्षात्कार पंचायत प्रतिनिधियों के लिये मार्गदर्शिका का कार्य करेगा।

- कृष्णा यादव
भोपाल (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का नवीनतम अंक पढ़ा। प्रदेश की नवनिर्वाचित सरकार ने ग्रामीण विकास तथा किसानों के कल्याण के लिये उल्लेखनीय कदम उठाये हैं। इस जानकारी को मध्यप्रदेश पंचायिका में बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। विगत दिनों ग्राम पंचायत विकास योजना पर राज्य स्तरीय कार्यशाला के आयोजन को भी पत्रिका में शामिल किया गया है। इस कार्यशाला में ग्रामीण विकास के लिये विशेषज्ञों द्वारा किये गये मंथन को भी प्रकाशित किया गया है। इस मंथन से निश्चित तौर पर ग्रामीण विकास को नई दिशा मिलेगी, वहीं ग्रामीणों का जीवन भी बेहतर होगा। भविष्य में इस तरह के आयोजन निरंतर होने चाहिये।

- रमा शर्मा
विदिशा (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका के जनवरी अंक को देखा। इस अंक में प्रधानमंत्री आवास योजना : ग्रामीण की जानकारी दी गई। इस योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश शीर्ष पर है, यह जानकर गर्व की अनुभूति हुई। साथ ही अंक में इस योजना के तहत लाभान्वित लोगों की जानकारी भी दी गई। इन प्रेरणादायी कहानियों से अन्य ग्रामीण भी इस योजना का लाभ लेने के लिये प्रेरित होंगे। इस तरह की सफलता की कहानियों का निरंतर प्रकाशन किया जाना चाहिये। यह ग्रामीणजनों को प्रेरणा देने का कार्य करेंगी1

- पवन वर्मा
गंजबासौदा (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का जनवरी 2019 का अंक पढ़ा। पंचायिका पत्रिका में पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणजनों के मार्गदर्शन संबंधी विविध सामग्रियों का निरंतर प्रकाशन किया जाता रहा है। इस अंक में भी ग्राम पंचायत विकास योजना, पंचायत संबंधी आदेश, परिपत्र, ई-पंचायत व्यवस्था, सफलता की कहानियां आदि का प्रकाशन किया गया है। इसके अलावा पत्रिका में नवगठित राज्य सरकार द्वारा ग्रामीणों के कल्याण के लिये किये गये प्रयासों को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है। यह सराहनीय है।

- रजनीश सक्सेना
नीमच (म.प्र.)

कमलेश्वर पटेल
मंत्री

प्रिय बंधुओ

मैंने आपसे अपनी बात की शुरुआत पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत बनाने का संकल्प लेने के साथ की थी। आपके पास जो अनुभव है वह अमूल्य है। इसी बीच पंचायत राज संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए आपने अपनी क्षमता को कई गुना बढ़ा लिया है। आप ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों और कार्यक्रमों से इतने जुड़ चुके हैं कि आप खुद एक विशेषज्ञ बन गये हैं।

गणतंत्र दिवस पर हमारी विशेष ग्राम सभाएं हुई थीं। मुझे कुछ ग्राम सभाओं में शामिल होने का मौका मिला था। मैं चाहूंगा कि आप ग्राम सभाओं की बैठक के अनुभवों को भी आपस में साझा करें। इससे ग्राम पंचायतों का परस्पर संवाद होने लगेगा। जब यह संवाद बढ़ेगा तो समस्याओं के समाधान और कई विकल्प भी सामने दिखने लगेंगे। प्रशासन तंत्र और पंचायत तंत्र में तालमेल बैठाना अब जरूरी हो गया है। आपने महसूस किया होगा कि पिछले कुछ वर्षों में प्रशासन तंत्र और पंचायत राज तंत्र में थोड़ी सी दूरी बढ़ी है। यह कई कारणों से हो सकता है। दोनों तंत्रों की जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण है। दोनों तंत्रों की कार्य करने की शैली अलग-अलग है। इसलिये यह संभव है कि कई स्थानों पर तनाव रहता होगा। आप जनप्रतिनिधि हैं। आपकी जवाबदारी गांव की जनता के लिये है। प्रशासन तंत्र आपकी मदद के लिये है। इसलिये परस्पर सहयोग और समन्वय जरूरी है।

हम हमेशा याद रखें कि हमें संविधान से अधिकार मिले हैं। वह भी इसलिये कि हम लोगों के प्रतिनिधि हैं। यह सरकार लोगों की सरकार है और लोग स्वयं सरकार हैं। वही ग्राम पंचायत अच्छी हो सकती है जो लोगों के दिल में बस जाये। लोगों की सोच समझ को जमीन पर उतार दे। विकास के नये-नये मार्ग खोजते रहे। हम विचार कर रहे हैं कि आदर्श पंचायत कैसी होनी चाहिये? आप भी सोचिये कि आदर्श पंचायत के कौन-कौन से मानदण्ड होना चाहिये। बेशक कुछ पंचायतों ने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ पंचायतों में आधारभूत काम भी पिछड़ गये हैं। ऐसी पंचायतों से आग्रह है कि या तो अपने काम करने का तरीका बदलें या लोगों से सहयोग लेकर काम करें।

याद रहे कि अगले माह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं की विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन होगा। इसकी तैयारी अभी से रखें। अभी से गांव की महिलाओं से चर्चा शुरू करें। महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दों की पहचान कर लें । इन मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष बैठक में चर्चा करने के लिये रखें।

मैं चाहूंगा कि सभी ग्राम पंचायतें अपनी-अपनी रिपोर्ट भेजें । इससे राज्य शासन को भी पता चलेगा कि किन क्षेत्रों के गांवों में महिलाओं से जुड़े मुद्दे क्या हैं और उनकी स्थिति कैसी है। इससे राज्य शासन को अपनी रणनीति बनाने में भी मदद मिलेगी।

इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी महिला शक्ति की पंचायत संस्थाओं में अच्छी उपस्थिति है। वे अपनी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता के साथ गांव के विकास में जुटी हैं। फिर भी कुछ मुद्दे हैं जिन पर आप समझते हैं कि चर्चा होना चाहिये तो इन बैठकों में जरूर करें।

हम सब मिलकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के सपनों को सच्चाई में बदल देंगे। वे चाहते थे कि पंचायतें इतनी सशक्त हो जायें कि वे हर समस्या का समाधान कर सकें।

(कमलेश्वर पटेल)
मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास
मध्यप्रदेश शासन

उर्मिला शुक्ला
संचालक

प्रिय पाठको,

छब्बीस जनवरी को हमने अपना 70वां गणतंत्र दिवस मनाया। सम्पूर्ण, प्रभुत्व, सम्पन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर प्रदेश भर में ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। ग्रामसभा में निर्धारित एजेंडा अनुसार, ग्राम विकास योजना का अनुमोदन, शासकीय योजनाओं की जानकारी तथा आवंटन की प्रक्रिया का त्वरित क्रियान्वयन किया गया।

'ग्रामों की स्वायत्तता ही शक्तिशाली लोकतंत्र वचन पत्र के अनुपालन में ग्राम सभा सशक्तिकरण अभियान' इस लेख को विशेष लेख में प्रकाशित किया जा रहा है।

विगत दिनों 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर धार में त्रि-स्तरीय पंचायत राज प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण तथा क्षमतावर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल का प्रशिक्षणार्थियों को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस रिपोर्ट को हमने कार्यशाला स्तम्भ में शामिल किया है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ जी ने दायित्व संभालते ही तेज गति से कार्य आरम्भ कर दिया है। इसका आकलन इस बात से सहज ही हो सकता है कि सरकार ने अपने आरम्भिक 52 दिनों के कार्यकाल में वचन पत्र के 26 बिन्दु पूर्ण कर दिये हैं। नई सरकार की त्वरित कार्यप्रणाली और निर्णयों की क्षमता के परिणामों पर केन्द्रित समाचार 'मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने दिखाई अपनी सरकार की तेज गति' को खास खबरें में प्रकाशित किया जा रहा है। खास खबरें में ही ग्राम पंचायतों में विकास का अधिकार ग्राम सभा को दिया जायेगा। मध्यप्रदेश में अगले चार माह में खोली जायेंगी एक हजार गौ-शालाएं, 'गौ-शाला नीति का मसौदा तैयार, गौ-शाला विधेयक पर काम शुरू' तथा अन्य समाचार शामिल हैं।

पंचायिका के इस अंक में हमने गणतंत्र दिवस समारोह अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रदेशवासियों को दिया गया संदेश तथा विभागीय मंत्री द्वारा किये गये ध्वजारोहण कार्यक्रम के समाचार को गणतंत्र दिवस समारोह स्तम्भ में प्रकाशित किया है। गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए ग्राम पंचायत तथा शासकीय विभागों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने और समन्वय स्थापित करने के लिए युवा ग्राम शक्ति समिति का गठन किया जा रहा है। इसकी जानकारी और शासकीय आदेश प्रकाशित किया जा रहा है। पंचायती राज में ग्राम पंचायत विकास योजना की सम्पूर्ण जानकारी उल्लेखित है। आपके मार्गदर्शन के लिए हर बार की तरह इस बार भी विभागीय स्तम्भ में अपर मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग में दिये गये निर्देश प्रकाशित किये गये हैं। अंत में पंचायत गजट में विभागीय आदेश समाहित हैं।

कृपया पंचायिका को और अधिक उपयोगी बनाने हेतु अपनी प्रतिक्रिया पत्रों के माध्यम से अवश्य भेजें।

(उर्मिला शुक्ला)
संचालक, पंचायत राज

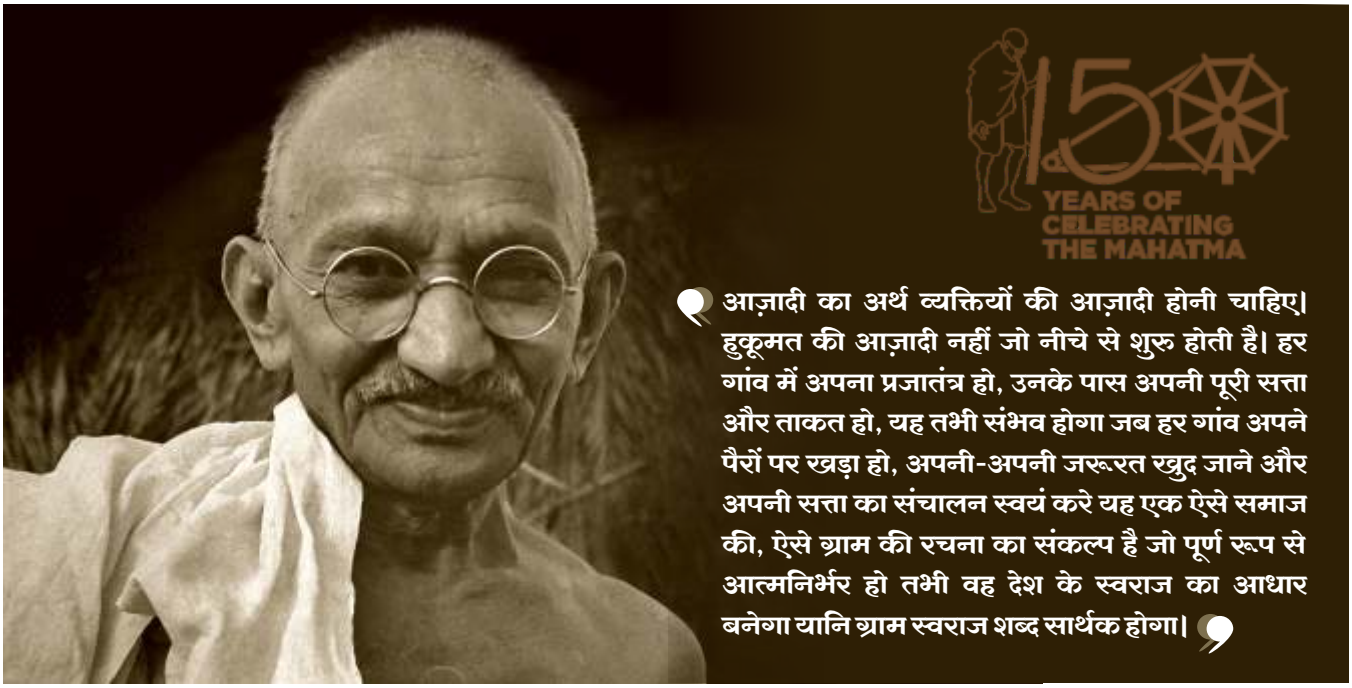

ग्रामों की स्वायत्तता ही शक्तिशाली लोकतंत्र

वचन पत्र के अनुपालन में ग्रामसभा सशक्तिकरण अभियान

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि 'सच्चा लोकतंत्र केन्द्र में बैठे हुए बीस व्यक्तियों द्वारा नहीं चलाया जा सकता, उसे प्रत्येक गांव में बसे लोगों द्वारा नीचे से चलाना होगा।

गांधी जी की कल्पना ग्रामसभाओं को स्वायत्त बनाने की थी अर्थात् गांव का शासन गांव के हाथ में ही हो। यद्यपि आजादी के बाद से अब तक सतत प्रयास हुए फिर भी स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में संविधान संशोधन हुआ और मध्यप्रदेश में श्री दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में गांधी जी की कल्पना के अनुरूप ग्राम स्वराज को आकार मिला।

गांधी जी की यह अवधारणा केवल कल्पना के आधार पर नहीं थी बल्कि उन्होंने देशभर की यात्राएं कीं, गांवों में जाकर मलिन से मलिन बस्तियों में रहने वाले नागरिकों से संपर्क किया। उनके दर्द और दशा को समझा। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि गांवों की विशेषताओं को, उनकी जरूरतों को या उनकी व्यवहारिक कठिनाइयों का निवारण नगरों में बैठकर अथवा केन्द्रीय सत्ता में बैठे विशिष्ट विदेशी शैली में शिक्षित लोगों द्वारा यथेष्ठ रूप से नहीं होगा। इसके लिए गांव के लोग स्वयं अपनी समस्याओं का निवारण करें, वे स्वयं अपने छोटे मोटे विवाद निबटाएं, समस्याओं का आकलन करें, इसके लिए अपने स्तर पर साधन जुटाएं और निर्णय लें।

गांधी जी की इस कल्पना के अनुरूप मध्यप्रदेश में वर्ष 1993 में प्रावधान हुए और बाद में वर्ष 1999 एवं 2001 में भी कुछ और आवश्यक प्रावधान किए गए। मध्यप्रदेश की वर्तमान सरकार ने गांधी जी की कल्पना और वर्ष 1993 से 2001 के बीच किए गए प्रावधानों के अनुरूप ग्रामसभाओं को सशक्त कर 'ग्राम स्वराज को लाने का वचन दिया था। सत्ता संभालने के मात्र चालीस दिनों के

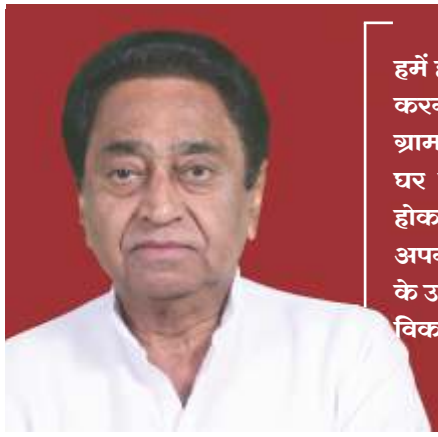

हमें हर हालत में पंचायती राज का सपना पूरा करना है, पंचायती राज ही वास्तव में सच्चा ग्राम स्वराज है। प्रत्येक ग्रामवासी का अपना घर हो, वह रोज़गार से जुड़े, वह कर्जमुक्त होकर स्वाभिमानपूर्वक जी सके। जब वह अपनी पूरी क्षमता से ग्राम के उन्नयन में, राष्ट्र के उन्नयन में योगदान देगा तभी मध्यप्रदेश का विकास सार्थक होगा।

- श्री कमल नाथ
मुख्यमंत्री

हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों के अनुरूप गांवों को आत्मनिर्भर बनाना है। ग्राम विकास का निर्णय ग्राम सभा में लिया जाये, गांव का शासन गांव से चले यह काम समय-सीमा में होना चाहिये।

- श्री कमलेश्वर पटेल
मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास
मध्यप्रदेश शासन

भीतर 26 जनवरी को बाकायदा आयोजन के साथ इस अभियान को आरंभ कर दिया गया। इस दिशा में मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने स्वयं व्यक्तिगत दिलचस्पी ली और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल के साथ बैठकर विधिवत कार्य आरंभ हुआ। इसमें ग्रामसभाओं को काम करने के लिए कुल तीस बिन्दुओं का एक मसौदा तैयार किया गया जिसमें ग्रामसभाएं अपनी क्षेत्र सीमा तक आने वाले समस्त कार्यों का मसौदा स्वयं बनाने, सामाजिक अंकेक्षण, लाभार्थियों का चयन, पंचायत भवन का निर्माण, शासन की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना, सामाजिक सहायता तथा पेंशन योजनाओं पर विचार मनरेगा के अंतर्गत आने वाले विभिन्न कार्यों का संचालन, पेयजल, आवास, बेसलाइन सर्वे, शौचालय निर्माण, कौशल उन्नयन, आजीविका हेतु बैंकों से लिंकेज, महिला उत्पीड़न के बिन्दु, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा-सुविधा के कार्य, आदि ग्रामों की आधारभूत जरूरतों की सभी विधाओं के काम शामिल किए गए। इसके लिए बाकायदा एक कैलेण्डर भी तैयार किया गया कि किन तारीखों में क्या काम होगा। मुख्यमंत्री तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने यह निर्देश भी दिए कि समय सीमा में ग्रामसभाओं के सशक्तिकरण का काम पूरा किया जाए।

वस्तुत: आजादी का अर्थ व्यक्तियों की आजादी होनी चाहिए। हुकूमत की आजादी नहीं। जो नीचे से शुरू होती है। हर गांव में अपना प्रजातंत्र हो, उनके पास अपनी पूरी सत्ता और ताकत हो, यह तभी संभव होगा जब हर गांव अपने पैरों पर खड़ा हो, अपनी जरूरत खुद जाने और अपनी सत्ता का संचालन स्वयं करे यह एक ऐसे समाज की, ऐसे ग्राम की रचना का संकल्प है जो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो तभी वह देश के स्वराज का आधार बनेगा यानि ग्राम स्वराज शब्द सार्थक होगा।

वर्तमान सरकार इन्हीं संकल्पों के साथ सत्ता में आई। सत्ता में आने के पूर्व जो वचन दिए थे, जो संकल्प व्यक्त किया गया था अथवा काम करने की शपथ उठाई गई थी। उनको पूरा करने के लिए बिना किसी विलंब के निर्णय लेना ही इस सरकार की विशेषता है। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमें हर हालत में पंचायती राज का सपना पूरा करना है, पंचायती राज ही वास्तव में सच्चा ग्राम स्वराज ला सकता है। प्रत्येक ग्रामवासी का अपना घर हो, वह रोजगार से जुड़े, वह कर्जमुक्त होकर स्वाभिमानपूर्वक जी सके। जब वह अपनी पूरी क्षमता से ग्राम के उन्नयन में, राष्ट्र के उन्नयन में योगदान देगा तभी मध्यप्रदेश का विकास सार्थक होगा।

अपनी पार्टी के वचन और मुख्यमंत्री जी के संकल्प के अनुरूप पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल के नेतृत्व में विभागीय अमला पूरी ताकत से काम करने में जुट गया है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि मध्यप्रदेश के गांवों का विकसित स्वरूप ठीक उसी प्रकार सामने आयेगा जैसी परिकल्पना गांधीजी ने की थी। जैसा स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने कार्य आरंभ किया था और श्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में वर्ष 1993, 1999 और 2001 में कानूनी प्रावधान किए गए थे।

● डॉ. विद्या शर्मा

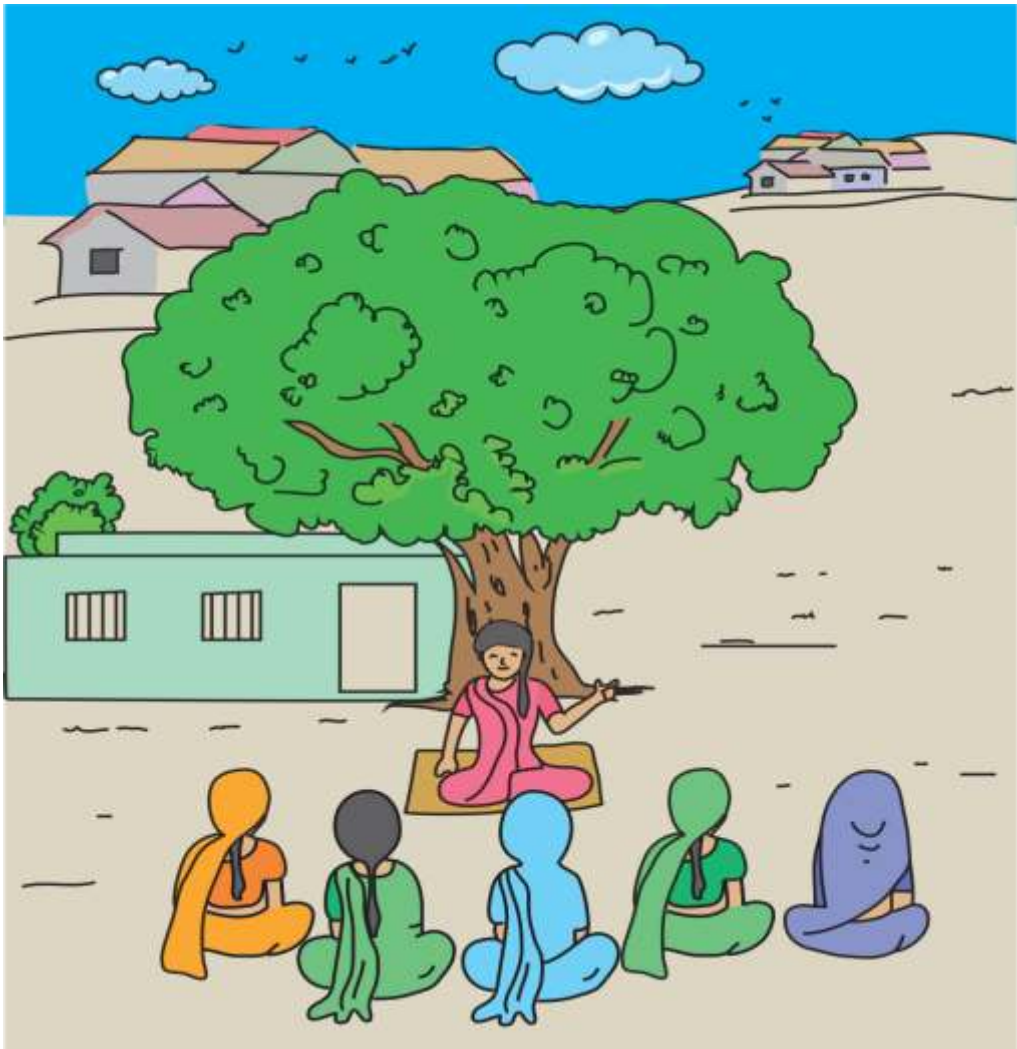

महात्मा गांधी ने गांवों की आज़ादी के बगैर भारत की आज़ादी को अधूरा बताया। आज़ादी यानी ग्रामीण समाज को अपने बारे में स्वयं सोचने, स्वयं निर्णय लेने और स्वयं उनको क्रियान्वित करने की आज़ादी। उन्होंने लिखा सच्चा लोकतंत्र, केंद्र में बैठे हुए 20 व्यक्तियों द्वारा नहीं चलाया जा सकता। उसे गांव के लोगों को चलाना होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए 73वें-74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को अधिकार संपन्न किया गया। इसी के मद्देनजर 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस सरकार ने अपनी रीति-नीति के अनुरूप त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का कार्य एक बार फिर शुरू कर दिया है।

धार में त्रि-स्तरीय पंचायत राज प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन कार्यशाला का आयोजन

जनप्रतिनिधि प्रशिक्षित होंगे, तो गांव के विकास के लिए प्लान भी बेहतर ढंग से तैयार होंगे

महात्मा गांधी ने गांवों की आजादी के बगैर भारत की आजादी को अधूरा बताया। आजादी यानी ग्रामीण समाज को अपने बारे में स्वयं सोचने, स्वयं निर्णय लेने और स्वयं उनको क्रियान्वित करने की आजादी। उन्होंने लिखा सच्चा लोकतंत्र, केंद्र में बैठे हुए 20 व्यक्तियों द्वारा नहीं चलाया जा सकता। उसे गांव के लोगों को चलाना होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए 73वें-74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को अधिकार संपन्न किया। इसी के मद्देनजर 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस सरकार ने अपनी रीति-नीति के अनुरूप त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का कार्य एक बार फिर शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत 30 जनवरी को धार में आयोजित त्रि-स्तरीय पंचायत राज प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन के लिए आयोजित कार्यशाला के साथ हुई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित इस त्रि-स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक, पंचायत प्रतिनिधि सहित अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान

मध्यप्रदेश सरकार ने पंचायती रा

सशक्तिकरण का वचन

नई सरकार ने सत्ता की बागडोर संभालते ही अपने वचन पूर्ति की ओर तेजी से कदम बढ़ाये हैं। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में वचन दिया था कि सत्ता में आने के बाद त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा तथा आमजन को विकास की प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा। अपने वचन के अनुसार सरकार बनते ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल के मार्गदर्शन में कार्य को आकार दिया जा रहा है। इसी कड़ी में 23 फरवरी को त्रि-स्तरीय पंचायत राज प्रतिनिधियों एवं स्व-सहायता समूहों का प्रशिक्षण तथा क्षमतावर्धन कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ प्रतिभागियों से सीधा संवाद करेंगे। सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक चलने वाली इस कार्यशाला में प्रतिभागियों को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल तथा अन्य मंत्रीगणों का भी मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

क्षमतावर्धन कार्यशाला में भोपाल तथा होशंगाबाद संभाग के जिला जनपद तथा ग्राम पंचायत के लगभग 15 हजार प्रतिनिधि तथा उत्कृष्ट स्व-सहायता समूह के 6 हजार सदस्य भाग लेंगे। शेष संभागों से 3 हजार ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि तथा सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के जिला जनपद अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष शामिल होंगे। कार्यशाला में लगभग 27 हजार प्रतिनिधि शामिल होंगे।

श्री पटेल ने त्रि-स्तरीय पंचायतराज व्यवस्था के स्वरूप और किए जाने वाले कार्यों व उनके महत्व को समझाया। साथ ही राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत आयोजित कार्यशाला में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बनवाई गई ग्राम पंचायत विकास योजना पर विस्तृत चर्चा की और उत्कृष्ट आदर्श ग्राम पंचायतों में किए गए नवाचार कचरे से कंचन, आजीविका

मुख्य बिंदु

- धार जिले में तीन लाख से ज्यादा जॉबकार्ड धारी हैं।
- स्वच्छ भारत मिशन में धार, खुले में शौच से मुक्त घोषित हुआ।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पांच हजार आवासों का निर्माण हो चुका है।
- पांच हजार आवास कार्य अभी प्रगति पर है।
- मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 14 हजार महिला स्व-सहायता समूह निर्मित हैं।

मूलक प्रजेंटेशन और 14वें वित्त तथा पंच परमेश्वर योजना सहित अन्य विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।

ज संस्थाओं के
न किया पूरा

इस वृहद आयोजन में ग्राम पंचायत के सरपंच, उपसरपंच, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिला पंच या प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत सचिव, जनपद पंचायत से जनपद उपाध्यक्ष अथवा अध्यक्ष, एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति के जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा एक अनुसूचित जाति एवं एक अनुसूचित जनजाति के जिला पंचायत सदस्य शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर 30 जनवरी को धार में भी प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

● **हेमलता हुरमाड़े**

इस अवसर पर श्री पटेल ने कहा कि कार्यशाला से त्रि-स्तरीय पंचायतराज व्यवस्था के प्रतिनिधियों को सीखने और अपने अधिकारों को जानने का मौका मिला है।

उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का सपना था कि देश में पंचायत राज लागू हो और इसे पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने साकार किया। वहीं, मध्यप्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने पंचायतराज लागू किया था। उन्होंने जनपद पंचायतों तथा जिला पंचायतों को अधिकार देने का काम किया था। लेकिन पूर्व सरकार ने जानकारी के अभाव में पंचायती राज अधिकारों को कम कर दिया। उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित होना चाहिए, क्योंकि वो समाज तथा गावों के संपर्क में रहते हैं। जनप्रतिनिधि प्रशिक्षित होंगे, तो गांव के विकास के लिए प्लान भी बेहतर ढंग से तैयार होंगे। प्रतिनिधियों से उन्होंने आह्वान भी किया कि वो सभी अपने अधिकार तथा कार्यों के प्रति सजग रहें।

इस दौरान कांग्रेस सरकार की योजनाओं की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि रोजगार गारंटी योजना कांग्रेस सरकार की देन है। इस योजना का उद्देश्य गांव का विकास करना और बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना था। उस समय गांव में वहीं टोला-मजरो में नौकरी मिल जाती थी, लेकिन इस योजना का पूर्व सरकार ने सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं किया है।

वचन पत्र में किए वायदे होंगे पूरे

इस अवसर पर मंत्री श्री पटेल ने कहा कि नई सरकार द्वारा वचन पत्र में जनता से जो भी वायदे किए गए हैं, वो सब हम पूरा करेंगे। वचन पत्र में त्रि-स्तरीय पंचायतराज प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने के संबंध में भी बात कही गई है जिसे हमारी सरकार पूरा करेगी।

श्री पटेल ने जिला मुख्यालय के पास स्थित ग्राम देलमी में 9 करोड़ 73 लाख 48 हजार रुपये की लागत से बनने वाले टेक होम राशन फैक्ट्री निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने परियोजना को फरवरी अंत तक पूर्ण करने के निर्देश दिए है।

गौ-शालाओं का मिलेगा लाभ

कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंत्री श्री पटेल ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को उनके अधिकार आवश्यक रूप से मिलेंगे। प्रदेश सरकार गौ-शालाएं खोलने जा रही है। जिसका

कार्यशाला से त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के प्रतिनिधियों को सीखने और अपने अधिकारों को जानने का मौका मिला है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था कि देश में पंचायत राज लागू हो। गांधी जी के इस सपने को पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री राजीव गांधी ने साकार किया। वहीं, मध्यप्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने पंचायत राज व्यवस्था लागू की थी। उन्होंने जनपद पंचायतों तथा जिला पंचायतों को अधिकार देने का काम किया था।

लाभ मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि गांव में सार्वजनिक स्थानों, खेल मैदान के लिए विकास कार्य सुनियोजित ढंग से किए जाने चाहिए। ताकि ग्रामीणों का उनकी आवश्यकता अनुरूप विकास हो सके।

कार्यशाला में उपस्थित जिले के मनावर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हीरालाल अलावा ने कहा कि हमारी सरकार विकास के लिए वचनबद्ध है। हम सब मिलकर गांव के विकास के लिए प्रयास करेंगे।

साथ ही गावों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारा प्रयास होगा और शिक्षा के क्षेत्र में जिले को पिछड़ेपन से उबारेंगे और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आवश्यक सुधार किए जाएंगे। इस अवसर पर सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रताप ग्रेवाल, धमरपुरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक पांचीलाल मेडा आदि उपस्थित थे।

● प्रवीण पांडे

महिला स्व-सहायता
सामाजिक

मध्यप्रदेश के महिला स्व-सहायता समूह महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनूठा उदाहरण है। प्रदेश में म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा लगभग 2 लाख 29 हजार 947 स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया है। इन समूहों से 26 लाख 43 हजार 903 से अधिक परिवार जुड़ गए हैं। यह परिवार सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन का पर्याय बन गए हैं। प्रदेश में महिला स्वावलंबन की हजारों सफल गाथाओं ने विकास का इतिहास रचा है। बैंकों द्वारा स्व-सहायता समूहों को अब तक 1 लाख 92 हजार 221 प्रकरणों में 2 हजार 598 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया है।

इन समूहों के बैंक से जुड़े कार्यों के

समूह

आर्थिक परिवर्तन के अगुआ

लिए बैंक सखी बिजनेस कॅरस्पॉन्डेन्स मदद करते हैं। सरकार का मत है कि मध्यप्रदेश में महिला स्व-सहायता समूह सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन का नेतृत्व कर रहे हैं। महिला स्व-सहायता समूहों को महिला सशक्तिकरण का आन्दोलन बनाया जा सकता है। प्रदेश में स्व-सहायता समूहों की महिला सदस्यों को रोजगार से जोड़कर गरीबी को दूर किया जायेगा। इससे प्रदेश के महिला स्व-सहायता समूह सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के अगुआ बन सकते हैं।

महिला स्व-सहायता समूह के आर्थिक सशक्तिकरण की ओर बढ़ते कदमों को प्रोत्साहित करने के लिए विगत 30 जनवरी को प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल धार जिले के पास स्थित ग्राम देलमी पहुँचे। श्री पटेल ने ग्राम देलमी में 9 करोड़ 73 लाख 48 हजार रुपये की लागत से बनने वाले टेक होम राशन फैक्ट्री निर्माण कार्य का जायजा लिया।

देलमी ग्राम की टेक होम राशन फैक्ट्री महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन में महती भूमिका निभाएगी। श्री पटेल ने इस परियोजना की न सिर्फ विस्तृत जानकारी ली बल्कि इसे फरवरी माह के अंत तक पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। श्री पटेल ने वहां के महिला स्व-सहायता समूह के सदस्यों से भी चर्चा की और उनके द्वारा आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में किये जा रहे कार्यों को विस्तार से जाना। महिलाओं ने बताया कि ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत उन्होंने समूह का निर्माण किया है। मिशन द्वारा गाँवों में रहने वाले गरीब परिवारों की महिलाओं को स्व-सहायता समूह से जोड़कर उन्हें स्थाई आजीविका प्रदान की जा रही है।

आजीविका मिशन के द्वारा गांव के गरीब और अति गरीब परिवारों की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना की बेस्ट प्रेक्टिस को पुनः लागू किया जायेगा। जिसमें अच्छे कार्यों और प्रगति को आगे बढ़ाया जायेगा।

● **विजय देशमुख**

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

आजीविका से स्थायी रोजगार

मिशन का उद्देश्य गरीब परिवारों को मजबूत कर जमीनी स्तर पर संस्थाओं के निर्माण के माध्यम से लाभकारी स्व-रोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर का उपयोग करने के लिए सक्षम करना, स्थायी आधार पर उनकी आजीविका में प्रशंसनीय सुधार करना एवं आजीविका को संवहनीय बनाना है, जिसके परिणामस्वरूप उन परिवारों की गरीबी को समाप्त किया जा सके।

कम से कम प्रत्येक गरीब परिवार को विशेषकर महिला सदस्य को स्व-सहायता समूह से जोड़ना। तत्पश्चात महिला, पुरुष दोनों को आजीविका गतिविधियों से संबद्ध करना।

संवहनीय आजीविका

- वर्तमान आजीविका को स्थायी व मजबूत करना-स्व-रोजगार प्रशिक्षण आजीविका (कृषि, पशुपालन, पारंपरिक गैर कृषि व्यवसाय)
- कौशल उन्नयन एवं नियोजन - सार्वजनिक, निजी, गैर सरकारी, सामुदायिक संगठनों के साथ साझेदारी।
- नयी संभावना आधारित स्व-रोजगार।
- अधोसंरचना विपणन सहायता।
- समर्पित मानव संसाधन।
- पारदर्शिता (सामाजिक अंकेक्षण) एवं जवाबदेही के साथ मजबूत मूल्यांकन व अनुश्रवण तंत्र।
- चरणबद्ध क्रियान्वयन - 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक भारत के समस्त जिले व ब्लॉक।

मिशन के लाभ

मिशन अंतर्गत बनाये गये स्व-सहायता समूह के सदस्य 3 माह उपरांत चक्रिय कोष का लाभ प्राप्त करते हैं, 6 माह पश्चात ग्राम संगठन के माध्यम से सीआईएफ व वीआरएफ का लाभ एवं 6 माह उपरांत समूह को बैंक लिंकेज के माध्यम से राशि प्राप्त कर अपनी सुविधानुसार आजीविका प्रारंभ कर सकते हैं।

कौशल उन्नयन एवं रोजगार

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत कौशल उन्नयन एवं रोजगार कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसके तहत ग्रामीण बेरोजगारों को लाभांवित किया जा रहा है। इसमें शिक्षित ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को विभिन्न संस्थाओं से प्रशिक्षण दिलवाकर कंपनियों में रोजगार उपलब्ध कराना।

ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को आर-सेटी के माध्यम से प्रशिक्षण दिलवाकर स्व-रोजगार हेतु प्रेषित करना। अन्य ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना जैसी गतिविधियां शामिल हैं।

● अर्चना शर्मा

प्रमुख बिन्दु

- **स्व-सहायता समूह गठन के पश्चात ग्राम स्तरीय, संकुल या ब्लॉक अथवा जिला स्तरीय परिसंघों का निर्माण करना।**
- **स्व-सहायता समूह के द्वारा पंचसूत्र का पालन।**
- **समूह, संघ, बैंकर्स, सरकारी कर्मी, गैर सरकारी संगठन, समर्पित स्टाफ का प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, कौशल निर्माण।**
- **वित्त की सतत सहज उपलब्धता - चक्रीय कोष, ब्याज अनुदान, परिसंघ प्रेरक पूंजी, बैंक वित्त पोषण।**
- **वित्तीय समावेशन - बैंक मित्र के उपयोग को प्रोत्साहित करना।**

सभी ग्राम पंचायतों में पात्र किसानों की सूची लगाई जाए

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री और बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने किरनापुर तहसील के ग्राम नेवरगाँवकला में किसानों को जय किसान फसल ऋण माफी योजना के आवेदन-पत्र प्रदान किये। श्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने वचन-पत्र पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। कोई भी पात्र किसान इस योजना के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने स्कूली बच्चों को नि:शुल्क गणवेश भी वितरित किये। गणवेश आजीविका मिशन की महिला स्व-सहायता समूह द्वारा तैयार किये गये हैं।

श्री पटेल ने कहा कि गाँव का कोई भी पात्र व्यक्ति वृद्धावस्था अथवा विकलांग पेंशन और अन्य योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिये। गाँव की अधिक से अधिक महिलाओं को स्व-सहायता समूह से जोड़कर उन्हें स्वावलम्बी बनायें।

मीजल्स-रूबेला
टीकाकरण अभियान का शुभारंभ

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने बालाघाट में मीजल्स-रूबेला टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि 9 माह से 15 वर्ष तक के सभी बच्चों का टीकाकरण जरूर करवायें।

जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक

श्री पटेल ने बालाघाट में जिला अधिकारियों की बैठक में कहा कि जय किसान फसल ऋण माफी योजना का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। सभी ग्राम पंचायतों में पात्र किसानों की सूची चस्पा हो। श्री पटेल ने कहा कि धान की खरीदी में किसानों को परेशानी नहीं होना चाहिये। उन्हें समय पर भुगतान करें। गाँव में मनरेगा योजना में मजदूरों को निरंतर रोजगार मिलना चाहिये। काम के अभाव में मजदूरों का पलायन नहीं हो। उन्होंने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर जरूरी निर्देश दिये।

पात्र को मिले

ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल होशंगाबाद जिले की ग्राम पंचायत केसला में पहुंचे। श्री पटेल ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना में कृषक श्री बृजमोहन सिंह का फार्म भरवाया। श्री पटेल ने ग्राम पंचायत में सरपंच श्री दिनेश कांजले से ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास की योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों को दिलवाना सुनिश्चित करें। श्री पटेल ने कहा कि मजदूरों को मजदूरी के लिए भटकना नहीं पड़े। इस दौरान जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने दिखाई अपनी सरकार की तेज गति

52 दिन में किसान ऋण माफी सहित वचन-पत्र के 26 बिन्दु पूरे

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने अपने 52 दिन के कार्यकाल में वचन-पत्र में जनता से किये गये 26 वचनों की पूर्ति के जरिए बता दिया कि जन-हित और प्रदेश हित सरकार का लक्ष्य होगा। शपथ लेने के 2 घंटे बाद ही प्रदेश के 55 लाख किसानों के 50 हजार करोड़ के ऋण माफ करने का निर्णय लेकर वचन-पत्र का पहला वचन पूरा किया गया। यही नहीं उन्होंने मुख्य सचिव को वचन-पत्र सौंपकर मंशा जतायी कि अगले पाँच साल का मुख्य एजेंडा यही है, इसे पूरा करना होगा।

पहले दिन से ही वर्किंग मोड पर

सत्रह दिसम्बर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही कमल नाथ सरकार 'वर्किंग मोड' पर आ गई और उन्होंने अपनी सरकार के काम करने की तेज गति को बताया। किसानों के बाद युवाओं को रोजगार देने के वचन-पत्र के दूसरे बिन्दु को पूरा करने के लिये निर्णय लिया गया कि अब उद्योगों में 70 प्रतिशत रोजगार प्रदेश के स्थानीय लोगों को देना जरुरी होगा। प्रदेश के विकास में युवाओं की भूमिका सुनिश्चित करने और युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिये मोहना, धार, भोपाल, छिंदवाड़ा और जावरा में टेक्सटाईल पार्कों की स्थापना का फैसला किया। युवा स्वाभिमान योजना के जरिये युवाओं को 100 दिन का काम उपलब्ध कराने के साथ-साथ कौशल विकास के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई।

वचन-पत्र के तीसरे बिन्दु कन्या विवाह-निकाह योजना का अनुदान 28 से बढ़ाकर 51 हजार रुपये करने का निर्णय लिया। वृद्धावस्था तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 600 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया। दिव्यांग महिला

और सामान्य पुरुष के बीच विवाह को बढ़ावा देने के लिये प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपये की गई।

पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश

आम जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिन-रात लगे रहने वाले पुलिस कर्मियों के हित में पुलिस बल को एक दिन का साप्ताहिक अवकाश देने का फैसला लागू हो गया है। पुलिस बल में 50 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती और उनका आवास भत्ता बढ़ाकर 5 हजार रुपये करने का भी प्रस्ताव प्रक्रिया में है।

नया अध्यात्म विभाग गठित

वचन-पत्र के एक और बिन्दु को पूरा करते हुए सर्वधर्म समभाव बढ़ाने के लिये नया अध्यात्म विभाग गठित किया। ताप्ती, मंदाकिनी और क्षिप्रा नदी न्यास भी गठित करने का फैसला लिया। मंदिरों के पुजारियों को वेतन 1500 से बढ़ाकर 3 हजार रुपये करने के बाद ही प्रदेश में 1000 गौ-शालाएँ निराश्रित गायों के लिये

खोलने का निर्णय लिया। इससे प्रदेश की एक लाख निराश्रित गायों को आसरा मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 3600 लोगों को इलाहाबाद में हो रहे कुंभ में भेजने का फैसला लिया। इसके लिये 12 फरवरी, 14 फरवरी, 22 फरवरी एवं 24 फरवरी को विशेष ट्रेन रवाना होगी। वंदे मातरम् को नए सिरे से भव्य स्वरूप में शुरू कर लोगों में देश भक्ति की एक नई भावना का संचार किया गया।

अल्प समय में जनहित के अनेक फैसले

अल्प समय में कमल नाथ सरकार ने जनहित के अनेक फैसले लिये। शासकीय विद्यालयों में 52 रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की। मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार पर सख्ती से रोक लगाने, आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने और बिजली की सतत् सुचारु आपूर्ति के लिये खराब ट्रांसफार्मर तत्काल बदलने के निर्देश दिये। ग्रामीण परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के साथ ही प्रत्येक हलके पर पटवारी पदस्थ करने को कहा।

कृषक हित संबंधी अनेक फैसले

वचन-पत्र के मुताबिक किसानों को दिये जाने वाले 2 लाख रुपये मूल्य तक के कृषि उपकरणों पर 50 प्रतिशत का अनुदान देने का आदेश जारी किया। आधुनिक तकनीक से सब्जियों, फसलों, औषधियों और फूल उगाने वाले उत्पादकों के पॉली हाउस और ग्रीन हाउसों का आकार 1000 से 5000 हजार वर्ग फिट तय किया गया। इसके लिये उनको ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है।

किसानों को दस हार्स पावर तक पंपों के लिये आधी दरों पर बिजली देने की व्यवस्था की जा रही है। सभी घरों में 100 यूनिट तक की बिजली खपत पर 100 रुपये का बिल आये, इसकी तैयारी की जा रही है। वचन-पत्र के एक और बिन्दु के जरिये आधुनिक तकनीक से मृदा और बीज के परीक्षण की सुविधा किसानों को दी गयी। खरबूज, तरबूज, सिंघाड़े और कमल ककड़ी की खेती को फसल कार्यक्रम में शामिल कर उन्नत बीज बाजार एवं अनुदान देने के आदेश भी जारी हो गये हैं। वचन-पत्र के अनुसार गैर-कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली देने का वादा पूरा कर दिया गया है।

सत्रह दिसम्बर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही कमल नाथ सरकार 'वर्किंग मोड' पर आ गई और उन्होंने अपनी सरकार के काम करने की तेज गति को बताया। किसानों के बाद युवाओं को रोजगार देने के वचन-पत्र के दूसरे बिन्दु को पूरा करने के लिये निर्णय लिया गया कि अब उद्योगों में 70 प्रतिशत रोजगार प्रदेश के स्थानीय लोगों को देना जरुरी होगा। प्रदेश के विकास में युवाओं की भूमिका सुनिश्चित करने और युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिये मोहना, धार, भोपाल, छिंदवाड़ा और जावरा में टेक्सटाईल पार्कों की स्थापना का फैसला किया।

बिजली बिल सुधार और प्रदाय संबंधी फैसले

इसी तरह बिजली सप्लाई, ट्रांसफार्मर की बिजली फेल होने और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गलत बिजली बिल बनने की शिकायतों के लिये कॉल-सेंटर बनाये गये हैं। शिकायत 1912 पर दर्ज करवायी जा सकती है। समय-सीमा में इनका निराकरण हो, इसके लिये निर्देश दिये गये हैं। ये कॉल-सेंटर 24 घंटे कार्यरत रहेंगे। आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दों के निराकरण के लिये एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी के एच.आर. हेड की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है। घाटे में चल रहे मध्यप्रदेश पर्यटन निगम के होटलों को निजी क्षेत्र में देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। दस होटल 30 साल की लीज पर दिये जा चुके हैं और 11 होटलों का चयन भी कर लिया गया है। वचन-पत्र के मुताबिक 10 हेरीटेज भवनों को निजी क्षेत्र में देने के लिये चिन्हित किया गया है। भोपाल स्थित मिंटो हॉल को हेरीटेज कन्वेंशन में बदला गया है।

खिलाड़ियों को प्रोत्साहन

वचन-पत्र के मुताबिक राज्य स्तरीय मैडल जीतने वाले खिलाड़ियों को कोचिंग और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सेदारी के लिये सभी तरह का सहयोग प्रदान करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। भविष्य में सभी खेल प्रतियोगिताओं में महिला खिलाड़ियों के साथ महिला खेल अधिकारी या महिला कोच को भेजा जाना अनिवार्य किया गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जिला खेल अधिकारी का नियंत्रक एवं नोडल अधिकारी बनाया गया है। ये खेल विभाग के अतिरिक्त पदेन निदेशक होंगे।

ग्राम-सभाओं में महिलाओं की विशेष भागीदारी के लिये 8 मार्च-अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सबला महिला सभा और 19 नवम्बर को प्रियदर्शनी महिला सभा की जायेगी। प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को सम्मान देने के उद्देश्य से बादल भोई और जनगण श्याम के नाम पर पुरस्कार स्थापित किये गये। अनुसूचित-जनजाति के युवाओं के कौशल विकास के लिये जिला स्तर पर कोचिंग सेंटर खोले गये। चिन्हित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) को मजबूत बनाया गया है। उपभोक्ताओं के लिये एफपीएस युक्त 30 गोदामों का निर्माण और बेहतर निगरानी के लिये आई.टी. सिस्टम का निर्माण किया जा रहा है। भोपाल बीआरटीएस की मौजूदा स्थिति के आकलन और संभावित सुधार के लिये मेनिट को नियुक्त किया गया है। फिलहाल बीसीएलएल द्वारा स्कूल बसों को बीआरटीएस ट्रेक पर कुछ शर्तों के साथ चलाने की इजाजत दी गयी है।

रियायती दर पर दाल वितरण

कमल नाथ सरकार ने उचित मूल्य की 24 हजार से अधिक दुकानों से 1 लाख 17 हजार पात्र परिवारों को रियायती दर पर प्रतिमाह चार किलो दाल वितरण की शुरुआत की। गुमाश्ता कानून में नवीनीकरण की अनिवार्यता समाप्त कर दस लाख से अधिक छोटे व्यावसाइयों को लाभान्वित किया। सभी नगरीय निकायों को शव-वाहन उपलब्ध कराने का फैसला भी सरकार ने लिया।

कुनझुनकला में ई-पंचायत कक्ष, सामुदायिक भवन, नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र निर्माण की घोषणा

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने सीधी जिले में भ्रमण के दौरान शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। जनसम्पर्क के दौरान हितग्राहियों से चर्चा की तथा उनकी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये। मंत्री श्री पटेल ग्राम पंचायत कुकराव, कुनझुनकला, बरबधा, कुसेड़ा, लौआर, खुटेली में स्थानीय कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से सभी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करें। उन्हें योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के स्पष्ट निर्देश हैं कि अधिकारियों के कार्यों का आकलन नागरिकों के द्वारा ही किया जायेगा। अच्छे कार्य करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जायेगा लेकिन विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि ग़रीबों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना सरकार की प्राथमिकता है। सभी विभाग पहल करते हुए हितग्राहियों को हितग्राहीमूलक योजनाओं से लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। सभी अधिकारी कर्मचारी अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहकर लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करें। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि उनके भ्रमण के दौरान सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहेंगे तथा प्राप्त होने वाले आवेदनों का मौके पर निराकरण करेंगे। इस व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ग्राम पंचायतों का सुनियोजित विकास हो

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने सभी पात्र कृषकों को जय किसान फसल ऋण माफी योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए तथा सभी पात्र कृषकों को लाभान्वित किया जाये। सभी ग्राम पंचायतों में अनिवार्य रूप से सूची प्रदर्शित करें तथा संबंधित नोडल अधिकारी योजना का प्रचार-प्रसार कर पात्र किसानों से संपर्क कर उनके आवेदन पत्र भरवायें। मंत्री श्री पटेल 21 जनवरी 2019 को ग्राम उक्सा, घोपरी, देवगांव, बल्हया, चितबरिया, बाकी, एवं दुधमनिया में स्थानीय कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। केबिनेट मंत्री श्री पटेल ने कहा कि सरकार ने योजनाओं के माध्यम से क्रमबद्ध तरीके से वचन पत्र का क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया है तथा सभी वचनों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि सरकार बनने के 2 घंटे के भीतर ही कृषकों के 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ करने के लिए जय किसान फसल ऋण माफी योजना का क्रियान्वयन किया गया। इसके साथ ही कन्या विवाह योजना सहायता राशि को 28 हजार से बढ़ाकर 51 हजार रुपये कर दिया गया है। इससे आय सीमा के बंधन को भी हटा दिया गया है। जिससे अधिक से अधिक व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो सके। किसानों को पर्याप्त बिजली प्राप्त हो सके इसके लिए कृषि कार्य हेतु कम से कम 10 घंटे बिजली की उपलब्धता तथा जले ट्रांसफार्मर 3 दिन के अंदर बदलने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अन्य वचनों को योजनाओं के माध्यम से क्रियान्वित करने के प्रयास किए जा रहे हैं जो शीघ्र ही पूरे होंगे।

ग्राम पंचायत का सुनियोजित तरीके से विकास किया जायेगा। ग्राम पंचायतों में सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने वैध काम के लिए अनावश्यक रूप से भटकना नहीं पड़े यह सुनिश्चित करें।

लोकतंत्र की आधारभूत इकाई : ग्राम सभा

मध्यप्रदेश में 26 जनवरी को ग्रामसभाओं का आयोजन

राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को साकार करने के लिए ग्राम सभाओं का सशक्त होना आवश्यक है। ग्रामसभा को मजबूत बनाने और विकास में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्रामसभा को संवैधानिक अधिकार प्रदान किये गये। ग्रामसभा को स्थानीय स्वशासन की एक संवैधानिक इकाई का स्थान दिया गया और ग्रामीण भारत के सम्पूर्ण विकास में लोगों की भागीदारी के लिए ग्रामसभा को सशक्त बनाया गया। ग्रामसभा लोकतंत्र की वह महत्वपूर्ण कड़ी है जो त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का आधार है।

महात्मा गांधी का कहना था कि जब तक गांवों का विकास नहीं होगा तब तक सशक्त एवं समृद्ध भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। गांधीजी की ग्राम स्वराज कल्पना में लोकतंत्र की प्रथम इकाई ग्रामसभा ही है। क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल सभी लोग इसके सदस्य हैं। इसका अध्यक्ष, ग्राम प्रधान, सरपंच अथवा गांव का मुखिया होता है। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में ग्रामसभा एक ऐसा मंच है जिसमें गांव के सभी लोग न सिर्फ भागीदार हो सकते हैं, बल्कि गांव के विकास के लिए अपना मत रखने, जन कल्याणकारी योजनाओं का हितग्राही को लाभ दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

ग्रामसभा में ही गांव के हित में योजना बनती है। बजट पारित होता है। सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा और लाभार्थियों के चयन पर निर्णय होता है। इसमें गांव के स्त्री-पुरुष, वृद्ध, युवा सभी वर्ग और श्रेणी के लोग मिलकर हल निकालते हैं। विकास के निर्णय लेते हैं और गांव के विकास में सहभागी बनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं के क्रियान्वयन और बजट को ग्रामसभा की बैठक में चर्चा उपरांत ही स्वीकृति मिलती है। ग्रामसभा में एक साथ सभी ग्रामवासी अपनी समस्याओं और मुद्दों का निपटारा कर सकते हैं। ग्रामसभा के माध्यम से हर ग्रामवासी अपनी बात रखता है। अपने अधिकारों की मांग कर सकता है और क्रियान्वयन की निगरानी कर सकता है। यदि ग्रामीणों को लगता है कि पंचायत के कार्य यथायोग्य नहीं हैं अथवा उनके कार्य संतोषजनक नहीं हैं तो वे सरपंच, पंच अथवा सचिव से कार्य के आय-व्यय और जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामसभा की सक्रियता से पंचायती राज व्यवस्था में चुन कर आये प्रतिनिधियों की लोगों के प्रति जवाबदेही बनी रहती है। ग्रामसभा लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिम्मेदारी जवाबदेही का सशक्त माध्यम है। इसमें शासन की सभी लोक

ग्रामसभा में ही गांव के हित में योजना बनती है। बजट पारित होता है। सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा और लाभार्थियों के चयन पर निर्णय होता है। इसमें गांव के स्त्री-पुरुष, वृद्ध, युवा सभी वर्ग और श्रेणी के लोग मिलकर हल निकालते हैं। विकास के निर्णय लेते हैं और गांव के विकास में सहभागी बनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं के क्रियान्वयन और बजट को ग्रामसभा की बैठक में चर्चा उपरांत ही स्वीकृति मिलती है। ग्रामसभा में एक साथ सभी ग्रामवासी अपनी समस्याओं और मुद्दों का निपटारा कर सकते हैं। ग्रामसभा के माध्यम से हर ग्रामवासी अपनी बात रख्ता है। अपने अधिकारों की मांग कर सकता है और क्रियान्वयन की निगरानी कर सकता है। यदि ग्रामीणों को लगता है कि पंचायत के कार्य यथायोग्य नहीं हैं अथवा उनके कार्य संतोषजनक नहीं हैं तो वे सरपंच, पंच अथवा सचिव से कार्य के आय-व्यय और जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है, ताकि जरूरतमंद लोग इससे लाभ प्राप्त कर सकें। इसमें पात्र हितग्राहियों तथा चयनित हितग्राहियों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। ग्रामसभा लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक ऐसा सक्रिय, सशक्त और प्रभावी मंच है जो सभी को विकास के फैसले लेने का अवसर प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 6 मध्यप्रदेश अनुसूचित क्षेत्र की ग्रामसभा नियम 1998 और मध्यप्रदेश ग्राम सभा नियम 2001 के तहत प्रत्येक 26 जनवरी, 2019 को ग्रामसभाओं का चरणबद्ध आयोजन किया गया। ग्रामसभा आयोजन के पूर्व अधिनियम की धारा 6 (1) के उपबंध अनुसार जिला कलेक्टर द्वारा प्रत्येक ग्रामसभा के आयोजन के लिए एक शासकीय कर्मचारी को नोडल अधिकारी के रूप में कार्य सौंपा गया। ग्रामसभा में सारा गांव शामिल हो सके इसलिए ग्रामसभा आयोजन की सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर तथा संबंधित गांव के मुख्य-मुख्य स्थानों पर अंकित की गयी। इसके अलावा गांव में डोडी, (मुनादी) द्वारा भी सूचना दी गयी। मध्यप्रदेश में 26 जनवरी को ग्रामसभा के आयोजन के पूर्व ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजन से संबंधित जानकारी प्रेषित की गयी।

ग्रामसभा में अपने गांव के लिए वार्षिक कार्य योजना निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक का सारा कार्य होता है। अर्थात् लोकतंत्र की पहली सीढ़ी ग्रामसभाएं ही हैं। ग्रामसभाओं की संभावनाओं, उद्देश्य और लक्ष्य को केन्द्र में रखकर ही आवश्यक ग्रामसभाओं का आयोजन किया जाता है। किन बिन्दुओं पर चर्चा की जानी है। उनका उल्लेख कर आयुक्त पंचायत राज श्रीमती उर्मिला शुक्ला द्वारा आदेश जारी कर दिये गये थे। इससे ग्रामसभा के लिए प्रस्ताव बनाने, ग्रामसभा में अनुमोदन करने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। पंचायत विभाग द्वारा ग्रामसभाओं के संबंध में जारी एजेंडे में ग्रामसभा के लिए निर्धारित, स्थाई तथा स्थानीय एजेण्डा के अतिरिक्त अन्य विषयों को शामिल किया गया।

● रीमा राय

ग्रामसभा में शामिल एजेण्डा के बिन्दु

- विगत ग्रामसभा बैठक में लिये गये निर्णय का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
- ग्राम पंचायत द्वारा किये गये आय-व्यय का अनुमोदन।
- ग्राम पंचायतों में संचालित योजनाओं तथा कार्यों हेतु आवश्यक बजट का अनुमोदन।
- ग्राम पंचायत में कराये जाने वाले कार्यों और लाभार्थियों का चयन।
- ग्रामसभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण।
- शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामसभा के समक्ष रखना।
- पंचायत भवन निर्माण की प्रगति एवं शीघ्र पूर्ण करने के संबंध में चर्चा।
- स्वकराधान योजना को तैयार करना तथा अधिक से अधिक कर संग्रहण के प्रयास करने के संबंध में चर्चा।
- समस्त पेंशन योजनाओं तथा सामाजिक सहायता कार्यक्रमों के लंबित आवेदनों पर विचार एवं अनुशंसा यदि पेंशन प्रदाय में समस्या हो तो उस पर विचार।
- ग्राम पंचायत अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता की समीक्षा करना। पंचायत के Asset Register को पढ़कर सुनाया जाना। परिसंपत्तियों को अंकित करते हुए उसे अद्यतन किया जाना एवं पंचायत अंतर्गत बन रहे परिसंपत्तियों की जानकारी जन सामान्य को दी जाये।
- ग्रामों में समस्त अनुसूचित जाति, जनजाति की बस्तियों में सीमेंट कांक्रीट रोड एवं नाली निर्माण की समीक्षा।
- मनरेगा अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन विकास कार्यों को लेने की रणनीति बनाना।

- मनरेगा अंतर्गत कृषि एवं कृषि आधारित कार्यों को लेने की रणनीति पर चर्चा।
- मनरेगा अंतर्गत शत-प्रतिशत जॉब कार्ड का सत्यापन।
- प्रत्येक ग्राम के लिए एक शांतिधाम का निर्माण तथा प्रत्येक ग्राम में एक खेल मैदान का निर्माण।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक तालाब का निर्माण एवं जीर्णोद्धार।
- ''सबकी योजना सबका विकास'' जन अभियान अंतर्गत ग्राम पंचायतों की बनायी गयी ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) वर्ष 2019-20 एवं शेष रही जीपीडीपी का शत-प्रतिशत अनुमोदन।
- शुद्ध पेयजल की नियमित उपलब्धता तथा नल-जल योजना के रख-रखाव की व्यवस्था के संबंध में चर्चा।
- प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत शेष अपूर्ण आवासों को शीघ्र पूर्ण करने का संकल्प।
- एसईसीसी-2011 में शेष रहे पात्र हितग्राहियों के नाम का वाचन।
- एसईसीसी-2011 की सूची में आवास हेतु पात्र हितग्राही जो भूमिहीन हैं का वाचन एवं उनको आवास निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने पर चर्चा।
- आवास प्लस एप में जोड़े गये नामों का वाचन।
- सभी शौचालय सहित घरों के मुखिया के नाम का वाचन।
- बेस लाईन सर्वे 2012 से छूटे हुए शौचालय विहीन घरों के मुखिया की सूची का वाचन एवं उन्हें शीघ्र शौचालय निर्माण कर प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की जानकारी देना।
- कार्यरत सक्रिय स्व-सहायता समूह की सफलता को प्रदर्शित किया जाना तथा नये समूह गठन को प्रोत्साहन।
- कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण।
- आजीविका हेतु बैंक से लिंकेज।
- स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे ए.एन.एम. का गांव में भ्रमण एवं टीकाकरण।
- महिला उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों पर ग्रामसभा में चर्चा जागरुकता बढ़ाना।
- विभिन्न विभागों जैसे स्कूल शिक्षा विभाग, सर्वशिक्षा अभियान, आदिवासी विकास, महिला एवं बाल विकास इत्यादि के द्वारा पंचायतों को दी गई राशि के कार्यों की समीक्षा।

ग्राम सभा में शामिल होकर ग्रामीण बनायें
ग्राम विकास का मास्टर प्लान

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने की ग्रामवासियों से अपील

मनरेगा में करवाये जाने वाले रोजगारमूलक कार्यों की प्राथमिकता तय करें। ऐसी योजना बनायें, जिससे गाँव में लगातार कोई न कोई रोजगारमूलक कार्य चलता रहे ताकि पलायन नहीं हो। ग्रामवासी स्वच्छ भारत मिशन में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लें। महिला सशक्तिकरण के लिये महिला स्व-सहायता समूहों के निर्माण और आर्थिक स्वावलम्बन, जय किसान फसल ऋण माफी योजना और लोगों की सरकार-लोग ही सरकार के सिद्धांत को लागू करने सहित अन्य विषयों पर सार्थक चर्चा भी करें।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने सीधी जिले में भ्रमण के दौरान प्रदेश के ग्रामवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपील की है कि गणतंत्र दिवस पर आयोजित ग्राम सभा में जरूर शामिल हों। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा में अपने गाँव के विकास का सुनियोजित मास्टर प्लान बनायें। श्री पटेल ने कहा कि पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायतों को अधिकार सम्पन्न बनाया जायेगा।

मंत्री श्री पटेल ने कहा है कि मनरेगा में करवाये जाने वाले रोजगारमूलक कार्यों की प्राथमिकता तय करें। ऐसी योजना बनायें, जिससे गाँव में लगातार कोई न कोई रोजगारमूलक कार्य चलता रहे ताकि पलायन नहीं हो। उन्होंने कहा है कि ग्रामवासी स्वच्छ भारत मिशन में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लें। महिला सशक्तिकरण के लिये महिला स्व-सहायता समूहों के निर्माण और आर्थिक स्वावलम्बन, जय किसान फसल ऋण माफी योजना और लोगों की सरकार-लोग ही सरकार के सिद्धांत को लागू करने सहित अन्य विषयों पर सार्थक चर्चा भी करें। श्री पटेल ने ग्रामवासियों का आह्वान किया है कि वे गाँव में चल रहे निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों की मॉनीटरिंग भी करें। उन्होंने कहा कि कहीं भी कोई अनियमितता नजर आये, तो वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करें।

ग्राम सभा में शामिल हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल

ग्राम विकास का मास्टर प्लान बनाने के लिए

ग्रामवासियों को किया प्रेरित

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल सीधी जिले की ग्राम पंचायत विशुनी टोला में गणतंत्र दिवस पर आयोजित विशेष ग्राम सभा में शामिल हुए। उन्होंने ग्रामवासियों के साथ बैठकर ग्राम पंचायत के सर्वांगीण विकास के मास्टर प्लान पर चर्चा की। श्री पटेल ने कहा कि पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत पंचायतों को अधिकार सम्पन्न बनाया जायेगा। ग्रामों के विकास को गति दी जायेगी।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि गांवों के विकास की दिशा निर्धारित करने का अधिकार ग्रामवासियों को है। ग्रामवासी ग्राम सभा के माध्यम से गांव की आवश्यकतानुसार विकास की कार्य योजना बनाएं तथा उसका प्रभावी क्रियान्वयन भी करें। उन्होंने ग्रामवासियों का आह्वान किया कि ग्राम पंचायत में चल रहे निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों की निगरानी करें। इसके साथ ही, शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से सभी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें।

ग्रामवासियों ने मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल को विगत सात माह से बैंक खाते होल्ड होने के कारण पेंशन नहीं मिलने की समस्या से अवगत कराया। श्री पटेल ने उपखंड अधिकारी गोपद बनास को तीन दिन में समस्या का निराकरण कर अवगत कराने के निर्देश दिये। उन्होंने विगत 4-5 माह से बिजली के ट्रांसफार्मर नहीं होने की समस्या का निराकरण करने के लिए कहा और जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना की शिकायतों का निराकरण समय-सीमा में करने के निर्देश दिये। ग्राम सभा में सरपंच श्री लाला प्रसाद पनिका, पंच और ग्रामीणों सहित शासकीय अधिकारी उपस्थित थे।

पंचायतों की मतदाता सूची बनाने में

लापरवाही पर हो सकता है कारावास

मध्यप्रदेश में पंचायतों की मतदाता सूची बनाने में लापरवाही पर दो वर्ष तक का कारावास हो सकता है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में संशोधन किया गया है।

संशोधन अनुसार मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि का पुनरीक्षण करने या उसमें नाम शामिल करने अथवा हटाने के लिए नियुक्त तथा प्राधिकृत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति को अधिनियम के उपबंधों के अधीन सौंपे गए कार्यों का निर्वहन नहीं करने पर कारावास की सजा दी जा सकेगी। साधारण कारावास की सजा तीन माह से कम की नहीं होगी और अधिकतम दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

कोई भी न्यायालय तब तक अपराध का संज्ञान नहीं लेगा जब तक राज्य निर्वाचन आयोग या कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी या किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित में शिकायत नहीं की गयी हो।

ग्राम पंचायतों में विकास का अधिकार

ग्राम सभा को दिया जायेगा

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि सरकार द्वारा वचन पत्र का योजनाओं के माध्यम से प्रभावी क्रियान्वयन प्रारम्भ कर दिया गया है। कृषकों के दो लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ कर दिये गये हैं जिसके आवेदन 5 फरवरी तक ग्राम पंचायतो में उपलब्ध हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी पात्र कृषकों के आवेदन प्राप्त कर उन्हें योजना से लाभान्वित करें। कोई भी पात्र कृषक योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिये। उन्होंने कहा कि केबिनेट ने कृषकों का विद्युत बिल आधा करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 100 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वालों का मात्र 100 रुपये प्रतिमाह बिजली का बिल आयेगा। केबिनेट मंत्री श्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अन्तर्गत सहायता राशि को 28 हज़ार रुपये से बढ़ाकर 51 हज़ार रुपये कर दिया गया। इसके साथ ही योजना से आय का बंधन भी समाप्त कर दिया गया है जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो होगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को बढ़ाकर 6 सौ रुपये कर दिया गया है जिसका लाभ माह अप्रैल से प्राप्त होगा। जल्द ही यह एक हज़ार रुपये प्रतिमाह किया जायेगा। पेंशन के लिये गरीबी रेखा की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। इस अवसर पर मंत्री श्री पटेल ने ग्राम कुनझुनकला में ई-पंचायत कक्ष, सामुदायिक भवन, नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र निर्माण की घोषणा की है। इसके साथ ही विद्युत विभाग के अधिकारियों को एक माह के अंदर विद्युतीकरण के कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देश हैं ट्रान्सफार्मर जलने पर तीन दिन के अंदर बदला जाये। नियमित रूप से रख-रखाव का कार्य किया जाए। अनावश्यक रूप से बिजली की कटौती नहीं की जाये कटौती की स्थिति में जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों को पूर्व में सूचित किया जाये। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें। मंत्री श्री पटेल ने ग्राम कुनझुनकला एवं बरबधा में शिविर लगाकर लोगों की समस्या का निराकरण कर अवगत कराने के निर्देश उपखण्ड अधिकारी सिहावल को दिये हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ किया जायेगा जिसके लिये कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

ग्राम पंचायतों में विकास का अधिकार ग्रामसभा को दिया जायेगा। ग्रामों में समस्त मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनके विधायक मद की सम्पूर्ण राशि पेयजल की समस्या को दूर करने के लिये हेण्डपम्प खनन में उपयोग की जायेगी।

● **राजकुमार पटेल**

गौ-शाला नीति का मसौदा तैयार

गौ-शाला विधेयक पर काम शुरू

गौ-शाला परियोजना पर तेजी से काम शुरू हो गया है। आठ जिलों में गौ-शाला संचालन के लिए विभिन्न संस्थाओं ने रुचि दिखाई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भी गौ-शालाओं के प्रबंधन को सतत रूप से प्रभावी बनाने में आगे आ रहे हैं। बायफ जैसी संस्थाएँ गौ-शाला गोद लेने को तैयार हैं। गौ-शाला नीति का मसौदा तैयार कर लिया गया है। गौ-शाला विधेयक का ड्राफ्ट भी तैयार किया जा रहा है। प्रदेश में इतने विशाल स्तर पर बेसहारा पशुओं को आसरा देने का काम पहली बार हो रहा है।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के निर्देश पर गौ-शाला परियोजना पर तेजी से काम शुरू हो गया है। आठ जिलों में गौ-शाला संचालन के लिए विभिन्न संस्थाओं ने रुचि दिखाई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भी गौ-शालाओं के प्रबंधन को सतत रूप से प्रभावी बनाने में आगे आ रहे हैं। बायफ जैसी संस्थाएँ गौ-शाला गोद लेने को तैयार हैं। गौ-शाला नीति का मसौदा तैयार कर लिया गया है। गौ-शाला विधेयक का ड्राफ्ट भी तैयार किया जा रहा है। प्रदेश में इतने विशाल स्तर पर बेसहारा पशुओं को आसरा देने का काम पहली बार हो रहा है।

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने भोपाल स्थित मंत्रालय में गौ-शाला प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की और इस पर अगले तीन सप्ताह में ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिये।

बैठक में बताया गया कि अभी छह सौ से ज्यादा ऐसे स्थानों को चुना गया है, जहाँ गौ-शाला स्थापित की जा सकती हैं। आगे प्रक्रिया चल रही है। नौ हजार से ज्यादा बेसहारा गौ-वंश को आसरा देने का काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में काम कर रही औद्योगिक कंपनियों के सोशल कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी फण्ड के उपयोग की गाईड लाइन में गौ-शाला के संचालन के लिये भी फंड देने का प्रावधान शामिल करने के निर्देश दिए।

श्री नाथ ने बेसहारा पशुओं की समस्या वाले जिलों में युद्ध स्तर पर काम शुरू करने को कहा है। उन्होंने सभी सम्बंधित विभागों के बजट का बेहतर उपयोग करने के निर्देश देते हुए कहा कि अगले तीन सप्ताह में गौ-शाला का स्वरूप जमीन पर उतारना चाहिए।

गौ-शाला संचालन की एजेंसियों की प्राथमिकताएँ तय

मुख्यमंत्री ने गौ-शाला के संचालन में पहली प्राथमिकता जिला प्रशासन, दूसरी प्राथमिकता पंचायत, तीसरी स्व-सहायता समूहों और चौथी प्राथमिकता प्रतिबद्ध स्वयं-सेवी संस्था को देने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि गैर वन गाँवों में गौ-शाला के संचालन की जिम्मेदारी पशुपालन विभाग की होगी जबकि वन-गाँवों में वन विभाग गौ-शालाओं का संचालन करेगा। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अपर मुख्य सचिवों की समन्वय समिति बनाने के निर्देश दिए। गौ-शाला संचालन में सभी स्तर की पंचायतों और पंचायत सचिवों की जिम्मेदारी भी तय करने को कहा है।

बैठक में पशुपालन मंत्री श्री लाखन सिंह यादव, ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल, कृषि मंत्री श्री सचिन यादव, मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रोजेक्ट गौ-शाला का नोडल विभाग

मध्यप्रदेश में अगले चार माह में खोली जायेंगी एक हजार गौ-शालाएं

राज्य सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अगले चार माह के भीतर 1000 गौ-शालाएं खोलने का निर्णय लिया है। इसमें एक लाख निराश्रित गौ-वंश की देख-रेख होगी और 40 लाख मानव दिवसों का निर्माण होगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अब तक कोई भी शासकीय गौ-शाला नहीं खोली गयी थी। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने वचन पत्र का एक और वचन पूरा करते हुए प्रोजेक्ट गौ-शाला को तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए। ग्रामीण विकास विभाग प्रोजेक्ट गौ-शाला का नोडल विभाग होगा। ग्राम पंचायत, स्व-सहायता समूह, राज्य गौ-संवर्धन बोर्ड से संबद्ध संस्थाएं एवं जिला समिति द्वारा चयनित संस्थाएं प्रोजेक्ट गौ-शाला का क्रियान्वयन करेंगी।

निजी संस्थाएं भी प्रोजेक्ट गौ-शाला में शामिल हो सकेंगी

मुख्यमंत्री ने निजी संस्थाओं से भी इस परियोजना में भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने स्वामित्व संचालन और प्रबंधन के आधार गौ-शालाओं के संचालन की सम्भावनाएं तलाशने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रोजेक्ट गौ-शाला से शहरों और गाँवों में निराश्रित पशुओं द्वारा पहुँचाये जा रहे नुकसान से निजात मिलेगी। निराश्रित पशुओं को घर आश्रय मिलेगा। साथ ही ग्रामीण रोजगार के भी अवसर निर्मित होंगे। चार माह बाद इन गौ-शालाओं का विस्तार होगा। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 614 गौ-शालाएं हैं जो निजी क्षेत्र में संचालित हैं। अब तक एक भी शासकीय गौ-शाला संचालित नहीं है।

> **गौ-शाला से शहरों और गाँवों में निराश्रित पशुओं द्वारा पहुँचाये जा रहे नुकसान से निजात मिलेगी। निराश्रित पशुओं को घर आश्रय मिलेगा। साथ ही ग्रामीण रोजगार के भी अवसर निर्मित होंगे। चार माह बाद इन गौ-शालाओं का विस्तार होगा। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 614 गौ-शालाएं हैं जो निजी क्षेत्र में संचालित हैं। अब तक एक भी शासकीय गौ-शाला संचालित नहीं है।**

गौ-शाला प्रोजेक्ट के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति होगी। विकासखंड स्तर की समिति में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अध्यक्ष होंगे। गौ-शाला में शेड, ट्यूबवेल, चारागाह विकास, बायोगैस प्लांट, नाडेप, आदि व्यवस्थाएं होंगी। फंड की व्यवस्था पंचायत, मनरेगा, एमपी-एमएलए फंड तथा अन्य कार्यक्रमों के समन्वय से होगी। जिला समिति गौ-शालाओं के लिए स्थल चुनेंगी।

बैठक में पशुपालन मंत्री श्री लाखन सिंह यादव, कृषि मंत्री श्री सचिन यादव, राजस्व मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल, मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती और सम्बंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

युवा ग्राम शक्ति समिति

ग्रामीण युवा गांव के विकास को गति देंगे

हम सभी जानते हैं कि इस समय भारत युवा देश है, मध्यप्रदेश भी युवजनों से समृद्ध प्रदेश है। यदि युवाओं की सक्रियता और ऊर्जा का उपयोग सही दिशा में हो जाये तो कुछ भी असंभव नहीं है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद युवाओं को उठो, जागृत हो के आह्वान से प्रेरित करते रहे हैं। मध्यप्रदेश में नई सरकार ने आते ही युवाओं की क्षमता, ऊर्जा और कार्यशीलता को स्वरूप प्रदान करने के लिए उन्हें विकास की गतिविधियों से जोड़ने की अनूठी कल्पना की है।

ग्रामीण युवाओं की सक्रियता को ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए सहभागी बनाने का देश में यह पहला प्रयास है। यह प्रयास है ''युवा ग्राम शक्ति समिति'' का गठन। यह युवा समिति गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए ग्राम पंचायत तथा शासकीय विभागों को आवश्यकता अनुसार सहयोग प्रदान करेगी और समन्वय स्थापित करेगी।

तेज गति से कार्य करने वाली इस सरकार ने 'युवा ग्राम शक्ति समिति' गठन के लिए न सिर्फ आदेश जारी किये बल्कि समय सारणी के आधार पर क्रियान्वयन की तिथि भी निर्धारित कर दी है। जिसमें 22 फरवरी तक समिति सदस्यों का चयन, 26 फरवरी तक पंचायतवार अनुमोदन तथा 4 मार्च को पंचायत मुख्यालय पर समिति की प्रथम बैठक के साथ कार्य शुरू हो जायेगा।

11 सदस्यों वाली इस समिति का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा, जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत जिला कलेक्टर द्वारा पंचायतवार आदेश जारी कर दिये जायेंगे। 25 वर्ष से कम आयु वाले ग्रामीण युवा, इस समिति के सदस्य बन सकते हैं। समिति में 6 सदस्य स्नातक उत्तीर्ण होंगे तथा 6 सदस्य हायर सेकेण्ड्री अथवा अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो सकते हैं। सदस्यों में कम से कम तीन महिला सदस्य तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग से ग्राम पंचायत की जनसंख्या के अनुपात में शामिल होंगे। समिति का समन्वय ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा किया जायेगा।

सरकार ने ग्राम युवा शक्ति समिति का गठन युवाओं की ऊर्जा और सक्रियता से ग्रामीणों को प्रेरित कर विकास की संभावनाओं को आकार देने के लिए किया है। युवाओं के समन्वय और सहयोग से जो कार्य किये जायेंगे उनमें मुख्य रूप से गांव के कमजोर वर्ग जैसे श्रमिक, पेंशनधारी, दिव्यांगजन, निराश्रित वृद्धजनों के कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन, गांव के युवाओं में नेतृत्व का निर्माण, सामाजिक बुराईयों की रोकथाम, स्वच्छता पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करना, ग्राम पंचायत के सशक्तिकरण के लिए प्राप्त आवश्यक करों और शुल्क देने के लिए लोगों को प्रेरित करना, स्वास्थ्य सुरक्षा के उपाय, टीकाकरण, कचरे का प्रबंधन, खुले में शौच से मुक्ति के लिए जागृत करना, कृषि उद्यानिकी और पशुपालन की उन्नत और आधुनिक तकनीक से जोड़ना, इंटरनेट, मोबाइल एप की सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करना, आपस में शांति और सद्भाव बनाये रखने के लिए प्रेरित करना आदि शामिल है। समिति को उत्कृष्ट कार्य करने पर एक लाख रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। गांवों के समग्र विकास और निर्माण के लिए निर्मित युवा ग्राम शक्ति समिति निश्चित ही ग्रामीण युवाओं में ऊर्जा का संचार करेगी। इससे ग्रामीणजन का व्यक्तित्व निर्माण, समाज विकास और आर्थिक समृद्धि सभी पक्ष एक साथ विकसित होंगे। उम्मीद की जा सकती है कि युवा ग्राम शक्ति समिति के माध्यम से ग्रामीण युवा मध्यप्रदेश के विकास को गति प्रदान करेंगे।

● **समता पाठक**

ग्राम पंचायत विकास योजना

किसी भी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि सभी लोग मिल-जुलकर विकास की रूपरेखा तैयार करें। विकास से आशय सिर्फ भौतिक विकास न होकर मानव विकास होना चाहिए और शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, निपुणता और गुणवत्तापूर्ण अधोसंरचना इसके मुख्य अवयव होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत अपने क्षेत्र के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने की जिम्मेदारी पंचायतों की है। इसमें स्थानीय लोग मिलकर अपने ग्राम व पंचायत की योजना बनाते हैं। दूसरे राज्यों की तुलना में हमारे मध्यप्रदेश की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां तथा भौगोलिक स्थिति अत्यंत भिन्न है, इसीलिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राम पर 'ग्राम सभा' तथा आदिवासी क्षेत्रों में 'पेसा क्षेत्रों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। यहाँ पर पंचायतें 'स्थानीय स्व-शासन इकाईयों' की भांति कार्य कर रही हैं। ग्रामीण अंचलों की स्थानीय स्तर की आवश्यकताओं और शासकीय कार्यों के लिए यह संस्थाएं 'सरकार आपके द्वार' की तर्ज पर विभिन्न सार्वजानिक सेवाएं मुहैया करवा रही है। मध्यप्रदेश में लगभग 18 महत्वपूर्ण विभागों के कार्य पंचायतों के माध्यम से ही संपन्न होते हैं जिसमें 29 प्रकार की महत्वपूर्ण सेवाएं आती हैं। साथियों मध्यप्रदेश इस देश का पहला राज्य था जहां 73वें संविधान संशोधन की भावना के अनुरूप त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू की गयी। और इस प्रदेश ने आगे बढ़कर 'ग्राम स्वराज अधिनियम' लागू किया जिससे जिला स्तर पर योजनाएं और जिला योजना समिति द्वारा विभिन्न ग्रामों से निकल कर आई योजनाओं के अनुरूप बजट का आवंटन होता है।

परन्तु यह तभी संभव है जब पंचायतें प्रतिवर्ष अपने 'सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास' की योजना सहभागिता से बनायें। पिछड़े तबके के लोगों, वंचितों और विशेषकर सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना में निकल कर आये वंचित परिवारों को इस योजना में उचित तबज्जो दी जाए। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी 'सबकी योजना-सबका विकास' जन आन्दोलन ने हमें एक अवसर प्रदान किया जिसमें प्रदेश की समस्त पंचायतों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और अपने विकास की विस्तृत कार्ययोजना निर्माण की। साथियों आज हम 'सबकी योजना-सबक विकास' कार्यक्रम के क्रियान्वयन और उसमें की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों को जानेंगे। हम यह भी समझेंगे कि ग्राम योजना को प्लान प्लस पर कैसे अपलोड

संलग्नक

योजना निर्माण से संबंधित विभिन्न प्रपत्र

ग्राम सर्वेक्षण प्रपत्र

1.	ग्राम का नाम		
2.	पटवारी हलका क्रमांक		
3.	कलस्टर का नाम		
4.	विकासखण्ड का नाम		
5.	जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक		
6.	तहसील का नाम		
7.	विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम		
8.	जिले का नाम		
9.	संसदीय क्षेत्र क्रमांक एवं नाम		
10.	ग्राम की वैधानिक स्थिति	राजस्व	वन
11.	ग्राम का एनआरईजीएस कोड		
12.	कुल जॉब कार्ड		
13.	कुल बीपीएल परिवार		
14.	कुल मतदाताओं की संख्या		
15.	विद्युतीकरण	हाँ-1	नहीं-2
16.	विकासखण्ड मुख्यालय से दूरी (किमी)		
17.	जिला मुख्यालय से दूरी (किमी)		
18.	अन्य क्षेत्र विशिष्ट संचालित विकास योजनाओं के नाम		
19.	टोलों/मोहल्लों/पारों की संख्या		
20.	टोलों के नाम	1	परिवार संख्या
		2	
		3	
		4	

किया जाता है और जरूरत पड़ने पर उसके माध्यम से मॉनीटरिंग कैसे की जाती है।

ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP)

ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) पूरे भारत में ग्राम पंचायतों द्वारा बनाये जाने वाली अपनी योजना है जिसमें पंचायतें अपने क्षेत्र के 'सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास' हेतु दूरगामी कार्ययोजना का निर्माण करती है। यह योजनायें सभी स्टेकहोल्डर्स की सहभागिता से बनायी जाती हैं और इसीलिए लोगों की आवश्यकता और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर एक तर्कसंगत योजना का निर्माण होता है। आप सभी जानते हैं कि पंचायत के स्तर पर तीन स्थानीय समितिया होती हैं, वहीं ग्राम सभा के स्तर पर दो स्थाई समिति होती हैं। दोनों ही स्तरों पर स्थाई समिति का एक अति आवश्यक कार्य 'ग्राम विकास नियोजन' करना होता है तथा इसे लोगों के मध्य रखना और इसे ग्राम विकास समिति को प्रस्तुत करना होता है।

ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के लाभ

- स्थानीय स्तर पर बनी योजनाओं से ही 'स्थानीय आवश्यकता' व स्थानीय समाधानों को मिलाया जा सकता है
- सहभागिता पूर्ण योजना निर्माण से पंचायतों और स्थानीय लोगों के मध्य विश्वास का माहौल बनता है
- भिन्न समूहों की भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं का आकलन करना तथा उसे समाधानों से जोड़ना आसान हो जाता है।
- पंचायत को भिन्न-भिन्न स्रोतों से मिलने वाले वित्त का युक्तिकरण संभव हो पाता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि यह प्रक्रिया लोगों को एक 'विजन' देती है कि वे अपने क्षेत्र को कैसा देखना चाहते हैं? कहां जाना चाहते हैं? और उस विजन को प्राप्त करने के लिए उन्हें कैसे मिलकर आगे बढ़ना होगा। पंचायतों के लक्ष्यों में स्पष्टता आती है और उन्हें प्राप्त करने हेतु 'कार्य-योजना' का निर्माण होता है।

ग्राम पंचायत विकास योजना के विविध चरण

चरण 1. : मिशन अन्त्योदय सर्वेक्षण : देखिये योजना तभी बन सकती है जब लक्ष्य पता हो, लक्ष्य तभी पता लगते हैं जब पता हो कि हमें जाना कहा है, यह तभी पता लग सकता जब पता हो कि हम वर्तमान में खड़े कहां हैं? पंचायतों और ग्रामों की वर्तमान स्थिति जानने के लिए मिशन अन्त्योदय अंतर्गत 48 बिन्दुओं पर सर्वेक्षण किया गया है। वर्तमान स्थिति में प्रत्येक पंचायतों और ग्रामों के लिए यह आकड़ा उपलब्ध है आप भी इसे वेबसाइट पर ऑनलाइन देख सकते हैं। यह सर्वेक्षण योजना निर्माण के लिए प्राथमिक आंकड़े उपलब्ध करवाते हैं। इसमें ग्राम स्तर की समस्याओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जिसमें (i) गंभीर रूप से महत्वपूर्ण (ii) बहुत जरूरी और (iii) वांछनीय। एक बार यह ज्ञात होने पर की पंचायतों के लिए क्या महत्वपूर्ण है योजना निर्माण करना आसन हो जाता है।

यह सर्वेक्षण पंचायतों के लिए नियुक्त फैसिलिटेटर द्वारा किया जाता है।

ग्राम में संसाधन उपलब्धता की स्थिति

क्र.	संसाधन (भवन/संस्था)	(हाँ/नहीं)	यदि सुविधा गांव में नहीं हो तो अन्य सुविधा स्थान की दूरी (कि.मी.)
1.	शिक्षा संबंधी		
1.1	प्राथमिक शाला		
1.2	माध्यमिक शाला		
1.3	हाईस्कूल		
1.4	हा.के. स्कूल		
2.	स्वास्थ्य संबंधी		
2.1	प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र		
2.2	उप. स्वास्थ्य केन्द्र		
2.3	अन्य अस्पताल		
3.	पशु चिकित्सा		
3.1	पशु चिकित्सालय		
3.2	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र		
3.3	ट्रेविस		
4.	पोषण संबंधी		
4.1	आंगनवाड़ी केन्द्र		
4.2	उचित मूल्य की दुकान		
5.	मूलभूत अधोसंरचनाएं		
5.1	सामुदायिक भवन		
5.2	खेल मैदान		
5.3	शमशान घाट		
5.4	हाट बाजार का स्थान		
5.5	बारामासी पहुँच मार्ग		
5.6	बस सेवा		

इस हेतु फैसिलिटेटर का चयन विकासखंड स्तरीय अधिकारी द्वारा किया जाता है। सर्वेक्षण हेतु https://missionantyodaya.nic.in वेबसाइट पर जाकर सर्वेक्षण अपलोड करने का कार्य किया जाता है ।

चरण 2 : प्रत्येक पंचायत के लिए फैसिलिटेटर की नियुक्ति : इस बार के ग्राम पंचायत विकास योजना अभियान में प्रत्येक पंचायत हेतु एक सहजकर्ता (फैसिलिटेटर) की नियुक्ति की गयी है। यह सहजकर्ता पंचायतों में मिशन अन्त्योदय सर्वेक्षण करने का कार्य करेगा। सर्वेक्षण से निकल कर आई गैप्स को ग्राम सभा में विश्लेषण के साथ प्रस्तुत करने का कार्य करेगा। इस बार के योजना निर्माण में विभागों को अपना प्रस्तुतिकरण देना है। इस हेतु एक प्रपत्र नियत किया गया है । सहजकर्ता विभागों से समन्वय स्थापित करके इसे सुनिश्चित करेगा।

फैसिलिटेटर के कार्य

- सर्वेक्षण करना।
- विशेष ग्राम सभा आहूत करवाना।
- सर्वेक्षण से निकल कर आई कमियों का विश्लेषण कर ग्राम सभा में प्रस्तुत करना।
- मुख्य विभागों से समन्वय कर उनके प्रस्तुतिकरण में मदद करना।
- ग्राम सभा के दौरान अपनी रिपोर्ट www.gpdp.nic.in पर अपलोड करना।
- ग्राम सभा का जिओटेग फोटो अपलोड करना।

प्रक्रिया अन्य प्रक्रियाओं से अलग होती है। इसमें ग्राम, पंचायत तथा क्षेत्र को अगले 5-10 वर्षों में कहां ले जाना है इस पर फोकस होता है तथा यह पंचायत के लोगों की आकांक्षाओं का दस्तावेज होता है। देखिये यदि किसी पंचायत में सभी सुविधाएं हों, सेवाएं पूर्ण रूप से मिल रही हों तथा गुणवत्तापूर्ण अधोसंरचना हो तो क्या वह पंचायत योजना नहीं बनाएगी? बिलकुल बनाएगी और बल्कि दूरगामी दृष्टिकोण के आधार पर बनाएगी...। यही विजन दृष्टिकोण का कार्य करता है और पंचायतों को दूरगामी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना बनाने हेतु प्रेरित करता है। यह विजन क्षेत्र के सभी लोगों को आपस में जोड़े रखने में मदद करता है। इसमें ग्रामों की मुख्य समस्याओं, आकांक्षाओं की पहचान कर उन्हें समाधान करने और पाने के विभिन्न विकल्पों पर समुदाय द्वारा आपसी चर्चा की जाती है। जिसमें समुदाय आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारियां तय करता है। यदि ग्रामों में अधिकांश बुनियादी सेवाएं उपलब्ध हैं तो भी यह निवासियों की सामान्य आकांक्षाओं को सतह पर लाने और उन्हें हासिल करने के तरीकों की पहचान करने में मदद करता है।

चरण 7 : पंचायत के संसाधनों का आकलन : ग्राम विकास नियोजन प्रक्रिया से पहले सम्बंधित ग्राम पंचायत के बजट को जानना बहुत आवश्यक है। जिससे योजना निर्धारण के समय राशि

गांव में निर्मित जल संरक्षण/संवर्धन संरचनाएं

क्र.	संरचना	संख्या	वर्तमान स्थिति			जल की उपलब्धता			यदि जीर्णोद्धार/ उन्नयन आवश्यक है तो विवरण
			अच्छी	औसत	खराब	3 माह	6 माह	वर्षभर	
1.	तलाब								
2.	तलाई/डबरी								
3.	स्टॉपडेम								
4.	निस्तारी तालाब								
5.	पक्के चेक डेम								
6.	शास. कुआं/बावड़ी								
7.	अन्य								

पेयजल संसाधन						
पेयजल संसाधन	संसाधनों की संख्या	वर्तमान स्थिति - (संख्या)		स्थिति (संख्या)		टिप्पणी
		पीने योग्य	पीने योग्य नहीं	अच्छा	खराब	
1. हेण्डपंप						
2. कुआं शासकीय						
3. कुआं निजी						
4. ट्यूबवेल						
5. अन्य						
संसाधन एवं सामाजिक मनचित्रों से विवरण दर्ज किया जा सकता है।						

गांव का रकबा							
(पटवारी/कम्प्यूटरीकृत भू-लेख/पंचवर्षीय पर्सपेक्टिव प्लान/अन्य किसी अभिलेख के आधार पर एकड़ में)							
कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	खेती योग्य	पड़त	वन भूमि	जल भूमि	सामुदायिक भूमि	शासकीय चारागाह	आबादी की भूमि

का अनुमान लगाकर अगले साल के खर्च का अनुमान लगाया जाता है। सरकार द्वारा नागरिकों के विकास की कई योजनायें संचालित की जाती हैं, वर्तमान में कई योजनाओं का पैसा जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं, श्रमिकों का मजदूरी भुगतान, हितग्राही मूलक योजनाओं का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में आता है । कई योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना आदि। इसके लिए सरकार द्वारा पंचायतों को राशि दी जाती है । वर्तमान में 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य वित्त आयोग की राशि सीधे पंचायतों को प्राप्त हो रही है ।

चरण 8 : कार्य योजना निर्माण : इस बार की कार्ययोजना पिछले वर्षों की तुलना में भिन्न है, इस बार एक और जहाँ सहभागिता पर विशेष जोर दिया गया है वहीं विभागों के माध्यम से ग्राम पंचायतों तक योजनाओं की जानकारी और पात्रता के बारे में भी जोर दिया जा रहा है । इस वर्ष आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्व-सहायता समूहों और उनके ग्राम संगठनों की विशेष भूमिका अपेक्षित है। 'गरीबी उन्मूलन कार्ययोजना' उन्हीं समूहों द्वारा प्रस्तुत की जाना है। इस वर्ष ग्राम पंचायत विकास योजना अभियान में विशेष ग्राम सभा आहूत की गयी है जिसमें मॉडल प्रारूप का ध्यान रखा गया है। ग्राम विकास नियोजन के बारे में जन-जागरूकता के कार्यक्रम किये गए हैं। कई पंचायतों ने ग्राम विकास समिति की और से ग्रामीणों को ग्राम सभा में आने हेतु आमंत्रण भी भेजे हैं। ऐसी पंचायतें बधाई की पत्र हैं जो आगे बढ़कर इसे सफल करती हैं।

ग्राम में विकास के मुद्दों (परिस्थिति विश्लेषण) पर विस्तृत चर्चा के बाद ग्राम पंचायत के संसाधन (रिसोर्स एन्वेलप) को देखते हुए गतिविधियों का प्राथमिकीकरण किया गया है। क्षेत्रवार गतिविधियों को लेते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की गयी है इसमें उपलब्ध वित्तीय संसाधन और समय-सीमा को आवश्यक रूप से शामिल किया गया है।

योजना निर्माण करते समय गरीबों, वंचितों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों का विशेष ध्यान रखा जाना है। अनुसूचित जाति, जनजाति और आदिम समूहों के क्षेत्रों वाले कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए। गतिविधियों की संभावित लागत को लेते हुए संबंधित विभाग, योजना और क्षेत्रकों के नाम लिखे जाएं। जिन गतिविधियों समुदाय के स्तर पर पूर्ण किया जाना है ऐसी गतिविधियों को सामुदायिक गतिविधियों में लिया जाए।

पात्रता योजना, गरीबी उन्मूलन योजना में निकल कर आये हितग्राहियों की जानकारी उचित प्रकार से प्रपत्रों में भरी जाए, बेहतर होगा कि हितग्राहियों के नाम के साथ उनके समग्र आईडी कार्ड का नम्बर भी लिखा जाए जिससे उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुगम हो

खेती योग्य भूमि का विवरण			
	खरीफ	रबी	ग्रीष्म/जायद
सिंचित			
असिंचित			

लघु-व्यवसाय/ सेवा प्रदायकर्ता की संख्या

1. किराना दुकान
2. साइकिल मरम्मत दुकान
3. दर्जी
4. होटल
5. बढ़ई
6. बैंड पार्टी
7. हस्तकला
8. सांस्कृतिक मंडली
9. नाई की दुकान
10. आटा-चक्की
11. फोटोग्राफर
12. टेन्ट हाउस
13. नर्सरी
14. साउंड सिस्टम शॉप
15. पान की दुकान
16. इलेक्ट्रॉनिक दुकान
17. मनिहारी
18. कपड़ा दुकान
19. बांस आदि का कार्य
20. लोहार
21. ईंट भट्टा
22. सब्जी दुकान
23. सेंट्रिंग व्यवसाय
24. अन्य कृपया विवरण दें

सके। ग्राम सभा में चर्चा के दौरान निकल कर आये हितग्राहियों के नाम भी इसमें लिखे जाएं। तैयार कार्ययोजना को ग्राम में विकास सेमिनार कर सभी ग्रामवासियों से चर्चा कर बताया जाए, ग्रामवासियों से मिले सुझावों को शामिल करते उए GPDP कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जाए।

निर्मित कार्ययोजना के मुख्य अवयव

गांव के स्थानीय संगठनों का विवरण			
संगठन	संख्या	महिला सदस्य	पुरुष सदस्य
वन समिति			
महिला मंडल			
भजन मंडली			
युवक/युवती मंडली			
पालक शिक्षा संगठन			
ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति			
अन्य			

सामुदायिक कार्ययोजना : इसमें समुदाय के माध्यम से की जाने वाली कम बजट या शून्य बजट गतिविधियां चलाई जाती हैं। इस तरह की गतिविधियां कार्ययोजना में होना बहुत आवश्यक है।

मूलभूत सेवाओं के कार्य : 14वें वित्त के अंतर्गत प्राप्त राशि का उपयोग ग्राम पंचायत क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के कार्य हेतु उपयोग किया जाना है।

राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के कार्य

विभिन्न विभागों के कार्य : वर्तमान में उपलब्ध प्लान प्लस पोर्टल के आंकड़ों अनुसार लगभग सभी जगह की कार्ययोजना पूर्ण हो, पोर्टल पर अपलोड हो चुकी है ।

प्लान प्लस पोर्टल के बारे में

इस बार भारत सरकार द्वारा योजना निर्माण में इस पोर्टल का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है।

यह पोर्टल आपको किसी भी समय और कहीं भी आपकी योजना और उसकी प्रगति को देखने और विश्लेषण करने के लिए सुविधा देता है। इसके माध्यम से राज्य सरकार भी पंचायतवार संसाधनों की जानकारी जन-जन तक पहुंचा सकती है। अभी वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा मुख्य केन्द्रीय योजनाओं के वित्त की जानकारी इसमें डाल दी गयी है। इसमें गतिविधि निर्माण, संसाधनों का आवंटन और उसका अनुश्रवण सम्बद्ध है। इसे आप लोग निम्न वेबसाइट पर देख सकते हैं www.planningonlive.gov.in

● **प्रफुल्ल जोशी**
राज्य कार्यक्रम समन्वयक, पंचायत राज

ओडिशा में गरीबी उन्मूलन में साधक बनी मनरेगा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रमीण रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य कृषि विहीन ग्रामीणों को रोज़गार दिलाने के साथ ही छोटे किसानों की आय में वृद्धि करने के प्रयास करना भी शामिल है। मनरेगा द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों से ग्रामीणों को न सिर्फ रोज़गार मिल रहा है बल्कि वे कृषि की नवीन तकनीकों से भी रूबरू हो रहे हैं। ऐसी ही एक कहानी ओडिशा राज्य से है जहां मनरेगा योजना गरीबी उन्मूलन में मददगार साबित हो रही है।

ओडिशा के कंधमाल जिले के खजुरीपर ब्लॉक की गुदरी ग्राम पंचायत के दादपाजू ग्राम के किसान साबूनाथ माझी के जीवन में मनरेगा योजना ने सुखद बदलाव लाया है।साबूनाथ के पास दो हेक्टेयर जमीन थी, इसके बावजूद बड़ी कठिनाई से अपने परिवार का भरण-पोषण कर पाते थे। इसका कारण था कि वे अपनी भूमि को जोत नहीं पाते थे, जिसके चलते जमीन बंजर पड़ी रहती थी, जमीन पर कोई खेती न होने के कारण जमीन की उपजाऊ क्षमता कम होती जा रही थीं। एक दिन ग्राम सभा में साबूनाथ को मनरेगा की योजनाओं की जानकारी मिली।

साबूनाथ ने ग्राम पंचायत में भूमि विकास योजना के तहत अपने खेतों पर हिल ब्रूम प्लांटेशन के लिये आवेदन दिया। मनरेगा योजना के तहत उद्यान विभाग के अधिकारियों ने साबूनाथ को हिल ब्रूम प्लांटेशन की पद्धति से अवगत कराया और उनकी जमीन पर हिल ब्रूम प्लांटेशन शुरू किया। इसके बाद अधिकारियों ने समय-समय पर हिल ब्रूम के पौधों की जांच की तथा इनके रखररखाव के बारे में साबूनाथ का मार्गदर्शन किया

हिल ब्रूम ग्रास के बढ़ने के साथ ही साबूनाथ की गरीबी के दिन भी खत्म होने लगे। साबूनाथ ने पहले साल लगभग 500 किलोग्राम हिल ब्रूम का उत्पादन किया जिसे बाजार में बेचकर काफी मुनाफा मिला।

दूसरे वर्ष साबूनाथ की जमीन पर लगभग 1 हजार किलोग्राम हिल ब्रूम घास की पैदावार हुई जो कुछ वर्ष बाद बढ़कर लगभग दो हजार किलोग्राम हो गई। हिल ब्रूम ग्रास की पैदावर बढ़ने से साबूनाथ को अच्छा खासा मुनाफा मिलने लगा। साबूनाथ ने ग्रास उत्पादन के साथ ही झाड़ू बनाना भी आरंभ कर दिया। उनकी झाड़ुओं को बाजार में अच्छा दाम मिल रहा है।

आज कंधमाल के झाड़ू की मांग ओडिशा के कई शहरों और कस्बों में है। साबूनाथ माझी ने बताया कि उनके द्वारा बनाई गई झाड़ू कई बड़ी एजेंसियां खरीद रही हैं और इन्हें देश के विभिन्न शहरों में बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा की योजना ने गांव और ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाकर उनका परिदृश्य बदल दिया है। मनरेगा ने पारंपरिक खेती में नवाचार करके खेती को लाभ का धंधा बनाने में मदद की है।

क्या है हिल ब्रूम ग्रास

हिल ब्रूम ग्रास ऊंची गुच्छेदार घास होती है। घास की ऊंचाई लगभग 60 से 90 सेंटीमीटर तक होती है। सूखने के बाद इस घास के गुच्छे कठोर और मजबूत बन जाते हैं। इस घास का उपयोग झाड़ू बनाने में किया जाता है। इस घास को लगाना आसान होता है। यह किसी भी प्रकार की मिट्टी में लग जाती है साथ ही इसे ज्यादा पानी की जरूरत भी नहीं होती है।

● **मोहन सिंह पाल**

त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को सशक्त बनाया जायेगा

मध्यप्रदेश सरकार आमजन के कल्याण के लिये संकल्पित है। सरकार ने वचन-पत्र में शामिल किये गये बिन्दुओं का क्रियान्वयन शुरू कर दिया है। प्रदेश में किसानों के दो लाख रुपये तक के फसल ऋण को माफ करने के लिये 'जय किसान फसल ऋण माफी योजना' शुरू की गई है। सरकार अस्थाई रोज़गार और कौशल विकास को जोड़कर 'युवा स्वाभिमान योजना' लागू करने जा रही है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र के गरीब युवाओं को एक वर्ष में 100 दिवस का रोज़गार उपलब्ध करवाया जायेगा। सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को एक हजार रुपये करने जा रही है। इसके अलावा सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहकों की मजदूरी दर दो हजार रुपये प्रति मानक बोरा को बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति मानक बोरा करने का निर्णय लिया है। उपरोक्त बातें मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने छिंदवाड़ा में गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहीं। गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये संदेश का सम्पादित अंश 'मध्यप्रदेश पंचायिका' में प्रकाशित किया जा रहा है।

प्यारे भाइयो, बहनो और बच्चो,

गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं प्रदेशवासियों का हार्दिक अभिनंदन और अभिवादन करता हूँ। आज ही के दिन देश ने भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर के सभापतित्व में संविधान सभा के प्रगतिशील सदस्यों द्वारा बनाये गये संविधान को लागू कर गणतांत्रिक बाना पहना था। मैं संविधान के निर्माण से जुड़े बाबा साहेब अम्बेडकर, संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों और स्वतंत्रता संग्राम के उन बलिदानियों और सेनानियों का कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करता हूँ, जिनके त्याग और मातृभूमि के प्रति समर्पण से आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। आज का दिन हमें आजाद देश के नागरिक के नाते आजादी को बरकरार रखने और इस विशाल देश के असंख्य नागरिकों के सुख-दु:ख में भागीदार होने के कर्तव्य का भी स्मरण कराता है।

प्रदेश में हालिया विधानसभा निर्वाचन में नागरिकों ने हमारी सरकार पर विश्वास जताया है। इस जनादेश के लिये हम प्रदेशवासियों के आभारी हैं। हमारी सरकार को काम करते हुए केवल 40 दिवस हुए हैं। हमने प्रदेश की जनता को एक वचन-पत्र दिया है जिसे हमने 5 सालों में पूरा करने का वादा किया है। परन्तु हमने इसका तत्काल क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया है। पदभार ग्रहण करते ही पात्र किसानों के दो लाख रुपये तक के ऋण माफी का आदेश हमारी सरकार ने जारी कर दिया। उस आदेश पर अमल भी उसी तेजी से हो रहा है। 15 जनवरी को सभी पंचायतों में पात्र किसानों की सूची लगा दी गई और उनके आवेदन लेने का कार्य प्रारंभ कर दिया। किसी भी अन्य राज्य सरकार ने ऋण माफी का क्रियान्वयन इतनी तेज गति से नहीं किया है। यह वचन-पत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की एक झलक है।

वचन-पत्र के कई वादे हमने इतने कम समय में ही पूरे कर दिये। औद्योगिक नीति में हमने बदलाव किया है और शासन की सहायता लेने वाले उद्योगों पर बंदिश लगाई है कि कम से कम 70 प्रतिशत रोज़गार वे मध्यप्रदेश के ही लोगों को देंगे।

हमारी युवाशक्ति के हाथ में प्रदेश का भविष्य है। हमारे युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत है इस प्रतिभा को निखारने की जिससे वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल रहे रोज़गार के अवसरों का पूरा-पूरा लाभ उठा सकें। प्रतिभा निखारने के साथ-साथ उन्हें अस्थायी रोज़गार की भी आवश्यकता होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह रोज़गार मनरेगा के कार्यों से मिल जाता है परन्तु शहरी क्षेत्र में हमारे युवा ऐसे किसी अवसर से वंचित हो जाते हैं। इसलिये अस्थायी रोज़गार और कौशल विकास को जोड़कर हम एक नई योजना 'युवा

स्वाभिमान योजना' लागू करने जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के गरीब युवाओं को एक साल में 100 दिवस का रोज़गार उपलब्ध कराया जायेगा और इसी रोज़गार के दौरान उनकी इच्छा के क्षेत्र में कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे इस अवधि के बाद उनके हाथ में कौशल हो और वे विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध रोज़गार के अवसरों का पूरा-पूरा लाभ उठा सकें। योजना अंतर्गत 10 फरवरी से युवाओं का पंजीयन प्रारंभ होगा और फरवरी माह में ही रोज़गार और कौशल देने का कार्य प्रारंभ हो जायेगा।

हमने वचन-पत्र में एक वचन दिया था कि वृद्धजनों, दिव्यांगों एवं कल्याणियों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 300 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर देंगे। इस वचन की पूर्ति की ओर पहले कदम के रूप में अप्रैल के प्रथम सप्ताह से मिलने वाली पेंशन की राशि बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिमाह कर दी जायेगी। इसके बाद हर साल हम इसे बढ़ाते जायेंगे।

हमने अपने वचन-पत्र में जनता से यह वादा किया था कि तेंदूपत्ता मजदूरी और बोनस का नकद भुगतान करेंगे। इस बाबत् निर्णय ले लिया गया है और आने वाले तेंदूपत्ता सीजन में इसका पूरी तरह क्रियान्वयन होगा। इसके साथ ही हमारा यह भी वादा था कि तेंदूपत्ता मजदूरी की दरों में सुधार किया जायेगा। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हम तेंदूपत्ता की मजदूरी दर 2000 रुपये प्रति मानक बोरा को बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति मानक बोरा कर रहे हैं।

आवारा पशुओं के लिये गौशाला खोलने का वादा हमने वचन-पत्र में किया था। इस हेतु योजना बनाने पर कार्य प्रारंभ हो गया है। मेरा विश्वास है कि फरवरी माह में योजना को अंतिम रूप देकर उसका क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया जायेगा।

जनजातीय कल्याण हमारी प्राथमिकता है। हमारे अनुसूचित जनजाति

- **युवाओं के रोज़गार के लिये लागू होगी युवा स्वाभिमान योजना।**
- **तेंदूपत्ता संग्राहकों को मिलेगी 2500 रुपये प्रति मानक बोरा राशि।**
- **सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर की गई एक हजार रुपये।**
- **इच्छानुसार क्षेत्र में मिलेगा शहरी युवा बेरोजगारों को रोज़गार और प्रशिक्षण।**
- **युवा स्वाभिमान योजना के लिये नगरीय निकाय होंगे क्रियान्वयन एजेंसी।**

के भाईजनों के पास जमीनें तो होती हैं परन्तु वह उसका सबसे बेहतर उपयोग कैसे कर सकें जिससे उन्हें अधिक से अधिक लाभ हो, इसकी जानकारी नहीं होती है। इसलिये मैंने जनजातीय कल्याण मंत्री जी की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति के कुछ सांसदों और विधायकों की एक समिति बनाई है जो इस बारे में अपनी स्पष्ट अनुशंसा देंगे। उन अनुशंसाओं पर हमारी सरकार तत्परता से कार्य करेगी।

प्रदेश में नया अध्यात्म विभाग गठित किया गया है। भारत की आध्यात्मिक विरासत एवं दर्शन प्रणाली एक वैश्विक धरोहर है। इस धरोहर के संरक्षण, संवर्द्धन और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देश-विदेश की बहुलतावादी संस्कृति के विकास को नये आयाम देने का काम यह विभाग करेगा। नये विभाग द्वारा आनंद और धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के सभी कार्य और अधिक प्रभावी रूप से सम्पादित किये जायेंगे।

मैं प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूँ कि सरकार ने विषम वित्तीय परिस्थितियों में कार्य संभाला है। फिर भी जनता से किये गये वादों को ईमानदारी के साथ पूरा करने में कोई वित्तीय बाधा आड़े नहीं आने दी जायेगी। वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के अनेक कदम उठाये जायेंगे। करों की चोरी की रोकथाम, राजस्व बढ़ाने की व्यवस्था को पुख्ता कर एवं आय के नये साधनों को लागू कर वित्तीय संसाधन जुटाये जायेंगे। साथ ही प्रशासनिक व्यय का भी युक्तियुक्तकरण किया जायेगा। सरकार ऐसी योजनाओं को जो आम नागरिक के लिये प्रासंगिक नहीं रह गई हैं, को बदलेगी या समाप्त करेगी।

अधोसंरचना विकास कार्य यथा सड़क, बिजली, सिंचाई, जल-प्रदाय, नगरीय अधोसंरचना आदि विकसित करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से धनराशि जुटाई जायेगी। इन क्षेत्रों में कार्यों को विशेष प्राथमिकता दी जायेगी। सामाजिक क्षेत्र में हमारा यह प्रयास होगा कि स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो, अस्पतालों में बेहतर इलाज मिले और कुपोषण के विरुद्ध समाज के साथ मिलकर व्यापक अभियान चलाया जाये।

मध्यप्रदेश की तीन चौथाई आबादी गाँव में बसती है। गाँव के विकास के बिना प्रदेश के सर्वांगीण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। सरकार की कोशिश होगी कि गाँव में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, स्वच्छता और कुटीर तथा ग्रामोद्योगों से स्थानीय स्तर पर रोज़गार जैसी मूलभूत और बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति कर गाँवों को समृद्ध और स्वावलम्बी बनाया जाये। इसके लिये ग्राम पंचायतवार योजनाएं बनाकर स्थानीय लोगों की भागीदारी से उन पर अमल किया जायेगा। 'लोगों की सरकार' के स्थान पर 'लोग ही सरकार'

मध्यान्ह भोज में शामिल हुए मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने बच्चों को अपने हाथ से खिलाया खाना

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ गणतंत्र दिवस पर छिंदवाड़ा में प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला सर्रा में आयोजित विशेष मध्यान्ह भोज में शामिल हुए। उन्होंने यहाँ बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाया। मुख्यमंत्री श्री नाथ ने बच्चों से कहा कि देश का गौरवशाली इतिहास है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और बलिदानियों के त्याग, समर्पण और संघर्षों के बाद देश को स्वतंत्रता मिली है। जिसके बाद देश में प्रजातंत्र लागू हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के संविधान से दुनिया के अन्य देशों ने भी बहुत कुछ सीखा है। विश्व के कई देशों के संविधान निर्माण में भी डॉ. अम्बेडकर का विशेष योगदान है। प्रजातंत्र को बनाये रखना भावी पीढ़ी की जिम्मेदारी है। आज के बच्चे कल का भविष्य हैं, इसलिये बच्चों में केवल शिक्षा ही नहीं ज्ञान का विकास करना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा में संस्कृति और मूल्यों का समावेश जरूरी है। मूल्यों से ही हमारे देश की एकता और समाज का मान बना रह सकता है। श्री नाथ ने शिक्षकों और संबंधित अधिकारियों से बच्चों को मूल्यों की शिक्षा देने की अपेक्षा की और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दीं।

के सिद्धांत पर त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को सशस्त बनाने की दिशा में काम किया जायेगा। ग्राम सभाओं को और अधिक सशक्त बनाते हुए विशेष महिला ग्रामसभाएं आयोजित की जायेंगी। मेरा मानना है कि सरकार परिवर्तन महज चेहरों का परिवर्तन न होकर वास्तविक अर्थों में परिवर्तन का कारक बनना चाहिये। इसके लिये शासन-प्रशासन में नयी कार्य-संस्कृति बनना जरूरी है। नये नजरिये और दृष्टिकोण के साथ परिवर्तन आना ही है। मुझे विश्वास है कि यह नयी संस्कृति 'वक्त है बदलाव का' को पूर्णता देते हुए प्रदेश को प्रगति के नये आयामों की ओर ले जायेगी।

सुशासन अब जुमला नहीं सच्चे अर्थों में परिलक्षित होगा। सभी शासकीय और पुलिस कर्मचारियों तथा अधिकारियों को मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि वे जनसेवक हैं जिनका काम जनसेवा है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि वे जनसेवा का कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करेंगे जिससे प्रदेश की जनता का भला हो। सरकारी विभागों और सरकारी अमले के कार्यों का जनता द्वारा किया गया मूल्यांकन ही सही माना जायेगा।

इस तरह सरकार एक ऐसा नया प्रदेश गढ़ेगी जो शासन-प्रशासन और आम लोगों के मध्य समन्वय का उदाहरण होगा। ऐसा प्रदेश जिसमें सब वर्ग सरकार की चिंता के केन्द्र में रहेंगे, बिना जाति, पंथ, सम्प्रदाय और धर्म के भेदभाव के। मैं प्रदेश के नागरिकों को यह भरोसा दिलाना चाहूँगा कि जो जनादेश उन्होंने हमें सौंपा है उस पर हम पूरी तरह से खरा उतरने के प्रयास करेंगे।

नई सरकार से लोगों को नाउम्मीदी नहीं होगी। हमने प्रतिपक्ष के रूप में पिछले सालों में अपनी जिम्मेदारियों का पूरी शक्ति से निर्वहन किया है। अब हमें हमारी सरकार से जनता की अपेक्षाओं का पूरा अहसास है। हम घोषणाओं की बजाय वास्तविक कार्य करने में विश्वास रखते हैं। 'प्रचार कम, काम ज्यादा' के सिद्धांतों पर सरकार काम करेगी। मेरी सरकार के काम का केंद्र बिन्दु हमारा वचन-पत्र होगा जिसे हम अगले 5 वर्षों में पूरा करेंगे। हम आने वाले पाँच सालों में प्रदेश को एक विकसित प्रदेश बनाने की राह पर तेजी से काम करने के लिये कृत-संकल्पित हैं।

गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं एक बार पुन: अपनी सरकार को गण के प्रति समर्पित करते हुए प्रदेश की समृद्धि और प्रदेशवासियों की खुशहाली और सुख-चैन की कामना करता हूँ।

जय हिन्द - धन्यवाद।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने

फहराया ध्वज, ली सलामी

गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने सीधी में छत्रसाल स्टेडियम में ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात राष्ट्रगान का गायन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री श्री पटेल ने कलेक्टर अभिषेक सिंह एवं पुलिस अधीक्षक तरुण नायक के साथ परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने समृद्धि के प्रतीक रंगीन गुब्बारे नीलगगन में छोड़े। तत्पश्चात मध्यप्रदेश का गान गाया गया। मुख्य अतिथि मंत्री श्री पटेल ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। जिला पुलिस बल ने हर्ष फायर किया। परेड कमाण्डर रक्षित निरीक्षक के नेतृत्व में जिला पुलिस बल, 9वीं बटालियन, होमगार्ड, वनविभाग, एन.सी.सी. सीनियर, एन.सी.सी. जूनियर, उत्कृष्ट विद्यालय, गणेश विद्यालय, ज्योत्सना स्कूल, शौर्यादल, सरस्वती शिशु मंदिर मड़रिया के छात्रों ने मार्चपास्ट कर मुख्य अतिथि को सलामी दी। मुख्य अतिथि मंत्री श्री पटेल, कलेक्टर अभिषेक सिंह एवं पुलिस अधीक्षक ने परेड कमांडरों से परिचय प्राप्त किया।

इन्हें किया गया सम्मानित

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनकी विधवाओं को शाल श्रीफल देकर सम्मानित किया। इसमें श्रीमती सावित्री देवी, श्रीमती राधा देवी, श्रीमती सविता द्विवेदी, श्रीमती सुनीता एवं श्रीमती दुर्गासिंह को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने किया पूर्व प्रधानमंत्री

स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गाँधी की प्रतिमा का अनावरण

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने छिंदवाड़ा में प्रियदर्शनी पार्क में देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। श्री नाथ ने कहा कि यह वही स्थान है जहाँ से भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने छिन्दवाड़ावासियों से प्यार और विश्वास माँगा था। यह मेरी भी अपील है कि आपका प्यार और विश्वास इसी तरह मिलता रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे संघर्षों के बाद हमें यह आजादी मिली है। बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों से भारत को विश्व के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश का दर्जा मिला है। उन्होंने कहा कि यही भारत की शान है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सब संकल्प लें कि भारत के प्रजातंत्र को मजबूत करेंगे। संविधान में निहित मूल्यों को कभी कमजोर नहीं होने देंगे। संविधान और इसकी संस्थाओं को मिलकर मजबूत बनायेंगे।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना में अव्वल रहा मध्यप्रदेश

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिये भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में पहले स्थान पर मध्यप्रदेश को चयनित किया गया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास श्री जे.एन. कंसोटिया यह पुरस्कार ग्रहण करेंगे। केन्द्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय में 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान के निदेशक श्री अशोक कुमार यादव ने पत्र लिखकर यह जानकारी दी है। यह पुरस्कार देश भर के पाँच राज्यों को दिया जा रहा है, जिसमें मध्यप्रदेश पहले स्थान पर है।

उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश ने इस अभियान के क्रियान्वयन में अच्छा कार्य, बेहतर सहयोग एवं मार्गदर्शन के साथ-साथ धरातल पर भी अच्छा कार्य किया है। श्री यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रभावी सामुदायिक व्यस्तता की श्रेणी में पुरस्कृत किया जायेगा। 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' योजना का मुख्य उद्देश्य पक्षपाती लिंग चुनाव की प्रक्रिया का उन्मूलन, बालिकाओं का अस्तित्व, सुरक्षा तथा शिक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना में प्रदेश के 42 जिले शामिल हैं।

बिजली के अवैध उपयोग की सूचना देने पर मिलेगा पुरस्कार

बिजली चोरी की रोकथाम के लिये इसके अवैध उपयोग की सूचना देने पर निर्धारित शर्तों के अधीन पारितोषिक देने की योजना को पुनरीक्षित किया गया है। सूचना के आधार पर राशि वसूली होने पर सूचनाकर्ता को 10 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जायेगा। इस राशि की अधिकतम सीमा नहीं है। बिजली के अवैध उपयोग अथवा चोरी के संबंध में कम्पनी मुख्यालय एवं क्षेत्रीय मुख्यालयों के अलावा क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को भी लिखित अथवा दूरभाष पर सूचना दी जा सकती है। सूचनाकर्ता की जानकारी गोपनीय रखने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की रहेगी। कम्पनी के अधिकारी-कर्मचारी को सूचनाकर्ता नहीं माना जायेगा। सूचना प्राप्त करने के लिये एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की जा रही है। सूचनाकर्ता को प्रोत्साहन राशि का भुगतान कम्पनी मुख्यालय से किया जायेगा। प्रोत्साहन राशि सीधे सूचनाकर्ता के बैंक खाते में जमा की जायेगी। प्रकरण बनाने एवं राशि वसूली करने वाले विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी ढाई प्रतिशत राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जायेगी। कम्पनी मुख्यालय में इस योजना के क्रियान्वयन के लिये श्री दिलीप सिंह धुर्वे अतिरिक्त मुख्य महाप्रबंधक को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। इनका मो.नं. 9406902738 है।

दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना

राज्य शासन द्वारा दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के उपभोक्ताओं के लिये कलेक्टरों की मांग के आधार पर जिलों को कुल 2964 क्विंटल खाद्यान्न आवंटित किया गया है। इसमें गेहूँ 1853 क्विंटल और चावल 1111 क्विंटल आवंटित किया गया है।

इस योजना में उपभोक्ताओं को गेहूँ और चावल एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रदाय किया जाता है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी किये हैं कि एफएक्यू गुणवत्ता का गेहूँ और चावल को ही प्रदाय किया जाये। योजना में खाद्यान्न प्राप्त करने के लिये नगरीय निकाय द्वारा अधिकृत व्यक्ति को ही म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के प्रदाय केन्द्रों से खाद्यान्न प्रदाय किया जाये।

चौदहवें वित्त आयोग की द्वितीय किश्त

ग्राम पंचायतों के बैंक खाते में जारी

पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश ने प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग मूल अनुदान की दूसरी किश्त जारी कर दी है। यह राशि 23 जनवरी 2019 को ग्राम पंचायतों के एकल बैंक खाते में ट्रांसफर की गयी। मध्यप्रदेश ने सर्वप्रथम और सबसे पहले यह राशि ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी है। वित्तीय व्यवस्था की पारदर्शिता और त्वरित कार्य प्रणाली की यह एक अनुकरणीय पहल है। चौदहवें वित्त आयोग मूल अनुदान की इस राशि से ग्राम पंचायत विकास योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा, पंच परमेश्वर योजना के तहत निर्माण कार्य संभव होंगे। निर्माण कार्यों में मनरेगा योजना के साथ प्रभावी कन्वर्जेंस कार्य सुनिश्चित हो सकेगा। राशि जारी किये जाने के साथ संचालक पंचायत राज श्रीमती उर्मिला शुक्ला द्वारा जारी शासकीय आदेश में कार्य की त्वरितता के साथ पारदर्शिता को लेकर यह भी निर्देश है कि प्रत्येक निर्माण कार्य के जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स अनिवार्य रूप से पंच परमेश्वर एप के माध्यम से अपलोड करवाये जायें। इसके अलावा पंच परमेश्वर योजना के तहत 14वें वित्त आयोग अनुदान से किये गये कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण भी करवाया जाये। उल्लेखनीय है कि पंच परमेश्वर एकीकृत योजना में राशि 14वां वित्त आयोग अनुदान तथा राज्य वित्त आयोग द्वारा जारी की जाती है। इस योजना में सीमेंट कांक्रीट सड़क सह नाली निर्माण तथा साफ-सफाई व्यवस्था प्रमुख रूप से शामिल है। पंचायत राज संचालनालय द्वारा 14वें वित्त आयोग की राशि सीधे ग्राम पंचायतों के खाते में जारी करने से एक तो वित्त की समस्या नहीं रहेगी, दूसरी आवश्यकता और प्रावधान के अनुसार पंचायतें तेज गति से कार्य कर सकेंगी।

● जय ठकराल

अपर मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कांफ्रेंस में दिये गये निर्देश

दिनांक 23.01.2019

1. महात्मा गांधी नरेगा :

- **लेबर नियोजन :** ऐसे जिले जहां पर मजदूरों का पलायन होता है, उक्त जिलों में लेबर नियोजन में कमी नहीं होना चाहिए। टीकमगढ़, रीवा, सतना, बड़वानी, रतलाम, राजगढ़, छतरपुर, झाबुआ, खरगोन, सागर, शहडोल एवं सीधी में लेबर बजट प्राप्ति के लिए आवश्यक औसत लेबर नियोजन में 12 हजार से अधिक मजदूरों का अंतर है। निर्देशित किया गया है कि लेबर नियोजन में वृद्धि की जाए। उक्त जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, सहायक यंत्री जनपद एवं कार्यपालन यंत्री के साथ आयुक्त, मनरेगा दिनांक 28.1.2019 को वीडियो कांफ्रेंस करेंगी।
- **रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन :** रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन के संबंध में दिनांक 30 जनवरी 2019 तक वित्तीय वर्ष 2016-17 के शत-प्रतिशत तथा 15 फरवरी 2019 तक वित्तीय वर्ष 2017-18 के समस्त लंबित रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन को परीक्षण उपरांत प्रोटोकाल का पालन करते हुए भुगतान सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी जिले में फाल्स रिजेक्शन अर्थात भुगतान होने के उपरान्त भी रिजेक्शन प्रतिवेदित है ऐसे समस्त प्रकरणों की जानकारी प्रेषित की जाए एवं परीक्षण उपरान्त उक्त रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन में प्रोटोकाल का पालन करते हुए भुगतान दिनांक दर्ज की जाए। यदि भुगतान दिनांक दर्ज करने में समस्या हो तो अवगत कराया जाए।
- **वृक्षारोपण :** उद्यानिकी विभाग के माध्यम से वर्ष 2018-19 में प्रदायित पौधों का लंबित भुगतान आगामी वीडियो कान्फ्रेंस के पूर्व किया जावे (कार्यवाही जिले- आगरमालवा, अलीराजपुर, भिण्ड, हरदा, छतरपुर, धार, बड़वानी, गुना, होशंगाबाद, जबलपुर, झाबुआ, मंदसौर, मुरैना, रायसेन, रीवा, सागर, सतना, सिवनी एवं अनूपपुर)। जिन जिलों के द्वारा अभी तक आयुक्त, उद्यानिकी को पौधरोपण का भुगतान नहीं किया है, वह तत्काल भुगतान करना सुनिश्चित करें। जिन जिलों के द्वारा एकल खाते से भुगतान किया गया है, वह नरेगा योजना से भुगतान कर समायोजन करें।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण :

- प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के समस्त आवास शीघ्र ही पूर्ण किए जाएं। समस्त जिले Locked आवासों की समीक्षा करें तथा यह सुनिश्चित करें कि अधिक से अधिक आवास माह जनवरी में पूर्ण हो जावें। Locked आवासों की समीक्षा आगामी वी.सी. में की जावेगी।
- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद/जिला पंचायत यह सुनिश्चित करें कि वर्ष 2018-19 में तृतीय किश्त शत-प्रतिशत जारी करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि जिले का एक भी आवास Locked आवासों की श्रेणी में परिवर्तित न हो पाए। सभी जिले यह सुनिश्चित करें कि आगामी वीडियो कांफ्रेंस के पूर्व तृतीय किश्त 95 प्रतिशत से अधिक जारी हो जावे।
- राजमिस्त्री प्रशिक्षण का चतुर्थ चरण 31 मार्च 2019 के पूर्व समाप्त करें। जिले सुनिश्चित करें कि महिला राजमिस्त्री प्रशिक्षु को भी अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाये।

3. स्वच्छ भारत मिशन :

- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों हेतु स्वच्छता मित्रों की सूची शीघ्र भेजें, ताकि प्रशिक्षण आदि आगामी गतिविधियां संचालित की जा सकें।
- समस्त जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत व्यक्तिगत रुचि लेते हुए ग्राम भ्रमण कर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की डीपीआर निर्माण व क्रियान्वयन प्रक्रिया में जनता की रुचि एवं भागीदारी सुनिश्चित कराते हुए ही डीपीआर निर्माण एवं क्रियान्वयन के कार्य कराएं। दतिया, सागर, बुरहानपुर, जबलपुर, खरगोन व धार के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आगामी वीडियो कांफ्रेंस में इस संबंध में फील्ड भ्रमण उपरांत अवगत कराएं।
- जिन पंचायतों में पूर्व स्वीकृत ठोस एवं तरल अपशिष्ट बंधन के डीपीआर के कार्यों पर रुपये 5.00 लाख या अधिक व्यय हो चुका है उनके शेष सभी कार्य 01 माह के भीतर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- शौचालयों की मरम्मत हेतु रूरल सेनेटरी मार्टों के माध्यम से ऋण राशि उपलब्ध कराने हेतु विस्तृत नियम-निर्देश राज्य स्तर से जारी किए जाएं।
- गोबर धन योजना संबंधी जिले स्वीकृत कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराएं।
- छूटे हुए शौचालय (LOB) निर्माण 28 फरवरी तक पूर्ण कराने की कार्यवाही हेतु पूर्व जारी निर्देशों को राज्य स्तर से सुस्पष्ट कर जिलों को सूचित करें।

4. मुख्यमंत्री हेल्पलाइन :

- मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निराकरण में डी-ग्रेड प्राप्त जिले शहडोल, पन्ना, उमरिया एवं डिण्डौरी तथा सी ग्रेड प्राप्त जिले अशोक नगर, निवाड़ी, दतिया, अनूपपुर, शाजापुर, रायसेन, गुना, रीवा, भिण्ड एवं छतरपुर नियमित समीक्षा करें एवं अधिक से अधिक शिकायतों को संतुष्टिपूर्वक बंद कराते हुए जिले को ए-ग्रेड पर लाने हेतु विशेष प्रयास किए जाएं।
- एल-4 स्तर पर लंबित समस्त शिकायतों को पुन: एल.-1 स्तर पर प्रेषित कराया गया है, जिसके निराकरण हेतु एल.-1 स्तर पर 15 दिवस की समय सीमा है। अत: शिकायतों का पूर्ण परीक्षण करते हुए जनपद एवं जिला स्तर से संतुष्टिपूर्वक निराकरण कराया जाना सुनिश्चित करें।

5. पंचायत राज :

समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ''सबकी योजना सबका विकास'' जन अभियान अंतर्गत समस्त गतिविधियों को 28 जनवरी, 2019 तक शत-प्रतिशत पूर्ण करें।

युवा ग्राम शक्ति समिति गठित किए जाने के निर्देश

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक/पंचा.राज./2019/28 **भोपाल, दिनांक 18.02.2019**

प्रति,

1. **कलेक्टर**
   जिला - समस्त
   मध्यप्रदेश।
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
   जिला पंचायत - समस्त,
   मध्यप्रदेश।

विषय :- युवा ग्राम शक्ति समिति का गठन।

ग्राम के सर्वांगीण विकास के लिये ग्राम पंचायत तथा शासकीय विभागों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने एवं समन्वय स्थापित करने हेतु, युवा ग्राम शक्ति समिति का गठन ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाना है :-

1. **समिति का कार्यकाल एवं गठन :-**
   समिति में कुल 11 सदस्य होंगे जिनका कार्यकाल 05 वर्ष का होगा, जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से कलेक्टर द्वारा समिति के गठन के आदेश पंचायतवार जारी किये जावेंगे।
2. **सदस्य हेतु पात्रता :-**
   I. आयु 01 जनवरी 2019 की स्थिति में 25 वर्ष से कम हो।
   II. शैक्षणिक योग्यता :- कम से कम 06 सदस्य उत्तीर्ण हो, शेष 05 सदस्य हायर सेकेण्ड्री अथवा अन्य व्यावसायिक पाठयक्रम में उत्तीर्ण हो।
   III. ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है।
   IV. त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि इस समिति के सदस्य नहीं होंगे।
   V. समिति में न्यूनतम 03 सदस्य महिला होगी तथा अ.जा. एवं अ.ज.जा. वर्ग से ग्राम पंचायत की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व होगा।
   VI. ग्राम पंचायत के सचिव समिति के समन्वयक होंगे।
3. **समिति के गठन के उद्देश्य/कार्य क्षेत्र :-**
   I. ग्राम के कमजोर वर्ग, विशेष रूप से श्रमिक, पेंशनधारी, दिव्यांग जन, निराश्रित वृद्धजनों के कल्याण की योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन। उदाहरण स्वरूप - ग्राम के पंजीबद्ध श्रमिक परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर अंत्येष्टि सहायता दिलवाना, परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर समय पर प्रकरण की औपचारिकता पूर्ण करने में मदद करके सामन्य मृत्यु में दो लाख रुपये तथा दुर्घटना मृत्यु में चार लाख रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराने में परिवार का सहयोग करना।
   II. ग्राम के युवाओं में नेतृत्व गुणों का विकास करना ग्रामीण युवाओं को खेलकूद, पुस्तकालय एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता को बढ़ाना।
   III. ग्राम वासियों में व्याप्त सामाजिक बुराईयों की रोकथाम हेतु कार्य करना जैसे - नशा मुक्ति, बाल विवाह, जुआ, सट्टा आदि।

IV ग्रामीण पर्यावरण एवं स्वच्छता के लिये ग्रामवासियों को श्रमदान हेतु प्रेरित करना।

V. ग्राम पंचायत की स्वयं की आय में वृद्धि एवं विकास के लिये विभिन्न करों एवं शुल्क जैसे - सफाई, जलकर, प्रकाशकर, भवन अनुज्ञा शुल्क, सम्पत्तिकर को जमा करने के लिये प्रेरित करना।

VI. ग्रामवासियों के अच्छे स्वास्थ्य हेतु स्वच्छ पेयजल उपलब्धता शत-प्रतिशत टीकाकरण, कचरे का प्रबंधन, खुले में शौच की रोकथाम।

VIII. कृषि उद्यानिकी एवं पशुपालन की उन्नत एवं आधुनिक तकनीक को ग्राम में बढ़ावा देना।

IX. इंटरनेट, मोबाइल एप से प्राप्त होने वाली सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु ग्राम वासियों को जागरूक करना जैसे - बैंक खाते से राशि का अंतरण, विद्युत बिल, फीस, टी.व्ही. रिचार्ज आदि का भुगतान, वोटर आई कार्ड बनवाना अथवा संशोधन कराने जैसी गतिविधियों को जागरूक करना।

IX. सोशल मीडिया, वाचनालय, संचार साधन गोष्ठी एवं टी.व्ही. पर प्रेरणादायक फिल्मों के माध्यम से ग्रामवासियों के बीच उत्कृष्ट घटनाओं को प्रदर्शित करना।

XI. ग्रामवासियों के बीच शांति सद्भाव बनाये रखने के लिये प्रेरणा देना, जागरूक करना।

प्रतिवर्ष प्रत्येक विकास खण्ड से एक समिति को उत्कृष्ट कार्य संपादित करने पर एक लाख रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। समिति के सदस्यों की जानकारी सभी संबंधित विभागों के पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी।

ग्राम पंचायत के सचिव प्रतिमाह कम से कम 01 बार समिति की बैठक का आयोजन करेंगे एवं कार्यवाही विवरण पंजी संधारित करेंगे।

समिति के गठन हेतु निर्धारित समय सारणी

क्र.	कार्य	समय-सीमा
1.	ग्राम पंचायत स्तर पर समिति के सदस्यों की चयन प्रक्रिया पूर्ण करना	22 फरवरी, 2019
2.	जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतवार समिति का प्रभारी मंत्री महोदय से अनुमोदन प्राप्त करना	26 फरवरी, 2019
3.	समिति की प्रथम बैठक पंचायत मुख्यालय पर	04 मार्च, 2019

गौरी सिंह
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक/पंचा.राज./2019/29 **भोपाल, दिनांक 18 02.2019**

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. संभागीय आयुक्त, संभाग-समस्त, मध्यप्रदेश।
3. संचालक, पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. निज सहायक, मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

14वें वित्त आयोग मूल अनुदान की दूसरी किश्त जारी

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

क्रमांक/पं.रा./पं.पर./2019/1844 **भोपाल, दिनांक 02.02.2019**

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत - समस्त, म.प्र.।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत - समस्त, म.प्र.।

विषय : ग्राम पंचायतों को जारी 14वें वित्त आयोग मूल अनुदान द्वितीय किश्त 2018-19 तथा किये गये कार्यों के सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में।

संदर्भ : भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय का पत्र क्र. N-11019/8/2017-FD दिनांक 01.02.2019

विषयांतर्गत 14वें वित्त आयोग मूल अनुदान की द्वितीय किश्त 2018-19 दिनांक 23.01.2019 को ग्राम पंचायतों को सीधे उनके एकल बैंक खाते में जारी की गई है। इस संबंध में आपके जिला/जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायतों से पुष्टि करें एवं यदि किसी ग्राम पंचायत को राशि प्राप्त नहीं हुई है तो संचालनालय को अवगत कराने का कष्ट करें। 14वें वित्त आयोग अनुदान की राशि की उपयोगिता के संबंध में निम्न निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें-

1. ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार कर तद्नुसार क्रियान्वयन किया जाना।
2. पंच परमेश्वर योजना के निर्देशानुसार राशि व्यय करने हेतु ग्राम पंचायतों को निर्देशित कर मॉनीटरिंग करना।
3. प्रत्येक निर्माण कार्यों के जियो टैक्ड फोटोग्राफ्स अनिवार्य रूप से ''पंच परमेश्वर'' एप के माध्यम से अपलोड करवाना।
4. निर्माण कार्यों में मनरेगा योजना के साथ प्रभावी कन्वर्जेंस सुनिश्चितता।
5. संदर्भित संलग्न पत्रानुसार मनरेगा योजना के समान ही पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत 14वें वित्त आयोग अनुदान से किये गये कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कराया जाना।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

उर्मिला शुक्ला
संचालक
पंचायत राज संचालनालय, म.प्र.

पृ. क्रमांक/पं.रा./पं.पर./2019/1845 **भोपाल, दिनांक 02.02.2019**

प्रतिलिपि :

1. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. संभागीय आयुक्त, संभाग (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर, जिला (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक, म.प्र. स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संचालक
पंचायत राज संचालनालय, म.प्र.

त्रि-स्तरीय पंचायत पदाधिकारियों एवं स्व-सहायता समूह के प्रशिक्षण हेतु निर्देश

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक/पं.ग्रा.वि./RGSA/2019/26 **भोपाल, दिनांक 19.02.2019**

प्रति,

1. **कलेक्टर**
   जिला भोपाल, सीहोर, रायसेन,
   विदिशा, राजगढ, होशंगाबाद,
   हरदा, बैतूल (म.प्र.)

2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी**
   जिला पंचायत भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा,
   राजगढ़, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल (म.प्र.)

विषय : राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायत पदाधिकारियों एवं स्व-सहायता समूह की प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन कार्यशाला का आयोजन दिनांक 23.02.2019 के संबंध में।

विषयांतर्गत कार्यशाला बी.एच.ई.एल. दशहरा मैदान भोपाल पर प्रातः 10.00 बजे से अपरान्हः 04.00 बजे तक आयोजित किया जाना है।

2. शासन द्वारा उक्त अनुसार प्रशिक्षण/क्षमतावर्धन कार्यक्रम दिनांक 23 फरवरी 2019 को भोपाल संभाग के जिला मुख्यालय भोपाल में उक्त कार्यशाला कराये जाने का निर्णय लिया गया है।
3. इस कार्यशाला में माननीय मुख्यमंत्रीजी मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रतिभागियों से चर्चा की जावेगी।
4. कार्यशाला में भोपाल संभाग एवं होशंगाबाद संभाग के त्रिस्तरीय पंचायत राज जनप्रतिनिधियों एवं उत्कृष्ट स्व-सहायता समूह के सदस्य भाग लेंगे। जिसके अंतर्गत दोनों संभाग के 8 जिलों के अधिकतम 15000 प्रतिभागी एवं प्रदेश के अन्य संभागों के लगभग 10,000 कुल 25,000 लोगों के भाग लेने की संभावना है। जिनके लिये व्यवस्थायें सुनिश्चित की जानी हैं।
5. इस कार्यशाला हेतु आपके जिले से प्रत्येक ग्राम पंचायत के सरपंच/उपसरपंच/एक अनुसूचित जाति एवं एक अनुसूचित जनजाति की महिला पंच एवं स्व-सहायता समूह के अध्यक्ष एवं सचिव, ग्राम पंचायत सचिव तथा प्रत्येक जनपद पंचायत से जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित जनपद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा एक अनुसूचित जाति एवं एक अनुसूचित जनजाति के जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, एक अनुसूचित जाति एवं एक अनुसूचित जनजाति के जिला पंचायत सदस्य को कार्यक्रम स्थल तक लाने एवं ले जाने की सुरक्षित व्यवस्था की जाना है। प्रतिभागियों की पंजीयन सूची क्रमांक 20 फरवरी 2019 तक पंचायत राज संचालनालय को संलग्न प्रारूप में भेजी जावे।
6. भोजन एवं पानी की व्यवस्था के लिये प्रति व्यक्ति रुपये 150/- एवं परिवहन में होने वाले व्यय के लिये आवश्यक अग्रिम राशि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को संचालनालय द्वारा व्यय की जावेगी। परिवहन विभाग के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ-22-07/2017/आठ दिनांक 26.06.2017 के द्वारा निर्धारित दरों पर अंतिम बिल भुगतान जिला पंचायतों द्वारा किया जावेगा। कृपया अनुमानित वास्तविक व्यय का आंकलन पंचायत राज संचालनालय को भेजा जावें। ताकि आवंटन दिया जा सके।

अतएव कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु संलग्न परिशिष्ट - ''अ'' अनुसार कार्यवाही आपके स्तर से की जाना आपेक्षित है। कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

गौरी सिंह
अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक/पं.ग्रा.वि.वि./RGSA/2019/27 **भोपाल, दिनांक 19.02.2019**

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्री कार्यालय भोपाल।
2. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. संभागीय आयुक्त भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

परिशिष्ट - अ

पत्र के संदर्भ में निम्नानुसार कार्यवाहियां आपेक्षित हैं :-

i. प्रतिभागियों की पंजीयन सूची दिनांक 20 फरवरी 2019 तक पंचायत राज संचालनालय को निम्नानुसार प्रारूप में भेजी जावें।

प्रपत्र - 1

संभाग का नाम	जिले का नाम	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या

प्रपत्र - 2

क्र.	जिले का नाम	जनपद पंचायत का नाम	प्रतिभागियों के प्रकार	नाम/पता	मोबाइल नंबर
			1. जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष 2. जनपद पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष 3. ग्राम पंचायत के सरपंच/ उपसरपंच/ग्राम पंचायत सचिव 4. एस.सी., एस.टी. की महिला पंच 5. स्व-सहायता समूह के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष 6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत सचिव		

ii. प्रतिभागियों के लिये लगाये जाने वाले वाहन का विवरण, वाहन क्रमांक एवं चालक परिचालक का नाम एवं मोबाइल नंबर भेजें।

iii. प्रत्येक भेजे जाने वाले वाहन पर एक शासकीय प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जावे एवं उसका नाम एवं मोबाइल नंबर भी भेजा जावे।

iv. प्रत्येक वाहन पर आगे पीछे एक बैनर लगाया जावे। जिसका विषय होगा - ''राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारियों एवं स्व-सहायता समूह की प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन कार्यशाला का आयोजना दिनांक 23.02.2019 (स्थान- बी.एच.ई.एल. दशहरा मैदान भोपाल)

v. प्रतिभागियों के लिये तीन भोजन पैकेट्स (नाश्ता लंच, डिनर एवं पीने के पानी की चार छोटी बाटलें) की व्यवस्था की जावे।

vi. कार्यक्रम स्थल के लिये जनपदवार पंजीयन तथा बैठक व्यवस्था हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन तथा अन्य शासकीय कर्मचारी/अधिकारी जिन्हें आप उचित समझें, ड्यूटी लगायी जावे एवं उनकी सूची तथा मोबाइल नंबर भेजे जावें।

vii. जिले में संपूर्ण कार्यक्रम की व्यवस्था हेतु कंट्रोल रूम का गठन किया जाये एवं उसके प्रभारी एवं कंट्रोल रूम का टेलीफोन नंबर/मोबाइल नंबर दिया जावे।

viii. प्रतिभागियों के आने जाने के दौरान कहीं कोई कानून/ट्रेफिक व्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो जिसके लिये जिले के पुलिस अधीक्षक के साथ समन्वय किया जाये।

ix. प्रतिभागियों को आवागमन के दौरान आकस्मिक चिकित्सा की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सक एवं आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा सामग्री के साथ अस्थाई स्टाल लगाये जाने हेतु जिला चिकित्सालय अधिकारी को निर्देशित किया जावे।

ग्राम पंचायतों के भ्रमण कार्यक्रम से संबद्ध निर्देश

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय
आदेश

क्रमांक/एफ 2-1-19/22/पं. 1/04 **भोपाल, दिनांक 01.02.2019**

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अंतर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा शासन की महत्वपूर्ण विकास योजनाओं तथा जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाता है। मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 84 तथा मध्यप्रदेश पंचायत (कार्यवाहियों का निरीक्षण) नियम, 1995 के तहत राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिला कलेक्टर एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर ग्राम पंचायतों का भ्रमण एवं ग्राम पंचायतों के कार्यों का निरीक्षण किया जाता है।

शासन-प्रशासन की जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए यह निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत कार्यालय में निम्न प्रारूप में भ्रमण/निरीक्षण पंजी संधारित की जावे। ग्राम पंचायत में भ्रमण/निरीक्षण हेतु जाने वाले समस्त अधिकारियों द्वारा इस पंजी में अपने भ्रमण तथा निरीक्षण टीप की प्रविष्टि अनिवार्यतः की जावेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

भ्रमण/निरीक्षण पंजी का प्रारूप -

क्रमांक	भ्रमण/निरीक्षण दिनांक	भ्रमण/निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम	निरीक्षण टीप	हस्ताक्षर

(उर्मिला शुक्ला)
उप सचिव मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक/क्रमांक/एफ 2-1-19/22/पं. 1/05 **भोपाल, दिनांक 01.02.2019**

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3 समस्त, अध्यक्ष, जिला पंचायत/जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।

---

1. समस्त, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन (समस्त विभाग) मंत्रालय, भोपाल।
2. सचिव, समन्वय, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।

---

1. आयुक्त, जनसंपर्क मध्यप्रदेश तथा प्रबंध निदेशक, माध्यम/पंचायिका की ओर प्रकाशनार्थ।
2. संचालक, पंचायत राज संचालनालय, भोपाल मध्यप्रदेश।
3. समस्त, संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश।
4. कलेक्टर, जिला - समस्त, मध्यप्रदेश।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत - समस्त मध्यप्रदेश।
6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) - समस्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. ग्राम पंचायत सरपंच/सचिव - समस्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पंचायत राज प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन कार्यशाला आयोजन हेतु निर्देश

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल

क्र. 36/पं.ग्रा.वि.वि./RGSA-272/18 **भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2019**

प्रति,

कलेक्टर,

जिला धार।

विषय : राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन कार्यशाला आयोजन बाबत्।

संदर्भ : भारत शासन पंचायत राज मंत्रालय की वीसी दिनांक 20.1.2019

कृपया राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन कार्यशाला आयोजन किया जाना है। कार्यक्रम की रूपरेखा संलग्न है।

शासन द्वारा उक्त अनुसार प्रशिक्षण/क्षमतावर्धन कार्यक्रम दिनांक 30 जनवरी 2019 को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर धार जिले में कराये जाने का निर्णय लिया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रहेंगे। इस प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन कार्यक्रम के लिये आपको नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

उक्त कार्यशाला आयोजन हेतु आरजीएसए योजनान्तर्गत कार्यशाला आयोजन हेतु निर्धारित दर अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को पृथक आदेश के माध्यम से राशि जारी की जा रही है। जिसके अनुक्रम में आपके जिले के लगभग 2500 त्रिस्तरीय पंचायत राज जनप्रतिनिधियों/कार्यकारी अमले की वर्कशाप हेतु निम्नानुसार व्यवस्थायें सुनिश्चित करने का अनुरोध है।

1. मेगा वर्कशाप में प्रशिक्षण हेतु स्थान चयन, प्रशिक्षार्थियों के बैठने हेतु बैठक व्यवस्था, विशिष्ट अतिथियों एवं प्रशिक्षिकों द्वारा किये जाने वाले प्रजेन्टेशन आदि हेतु प्रोजेक्टर, एलसीडी, स्क्रीन, साउंड सिस्टम, प्रशिक्षण हेतु चाय, भोजन की व्यवस्थायें आदि समस्त व्यवस्थायें 2500 प्रतिभागियों के मान से।

2. प्रशिक्षण के पंजीयन हेतु जनपदवार 14 काउंटर एवं पंजीयन की स्थापना एवं प्रतिभागियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नोडल अधिकारी रहेंगे।

आयुक्त एवं उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 37/पं.ग्रा.वि.वि./RGSA-272/18 **भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2019**

प्रतिलिपि :

1. निज सचिव माननीय मंत्री जी म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ एवं माननीय मंत्री जी को अवगत कराने हेतु प्रेषित।
1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
1. संभाग आयुक्त संभाग इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धार की ओर सूचनार्थ एवं पत्र में उल्लेखित समस्त व्यवस्थायें सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
3. संयुक्त संचालक आरजीएसए एवं वित्त/प्रशासन की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त एवं उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

गौ-शाला परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देश

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 124/348/2019/पं.-1/22 **भोपाल, दिनांक 6.02.2019**

प्रति,

1. **समस्त कमिश्नर**
2. **समस्त कलेक्टर**
3. **समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
   जिला पंचायत, मध्यप्रदेश

विषय: ''गौ-शाला परियोजना'' के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देश।

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में निराश्रित गौवंश की देख-रेख के लिये गौ-शालाओं का निर्माण पंचायत स्तर पर करने का निर्णय लिया है। प्रथम चरण में प्रदेश में एक हजार गौ-शालाओं का निर्माण, चयनित पंचायतों में किया जाना है। इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिये निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. जिला स्तर पर ''जिला स्तरीय गौ-शाला परियोजना समन्वय समिति'' (जिसे आगे **समन्वय समिति** कहा जाएगा) गठित की जाये। समिति के सदस्य निम्नानुसार रहेंगे:-

- जिला कलेक्टर — अध्यक्ष
- जिला पुलिस अधीक्षक
- जिला वन मण्डल अधिकारी
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत — सदस्य सचिव
- कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
- कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
- महाप्रबंधक/एस.ई. (ओ एण्ड एम) विद्युत वितरण कम्पनी
- उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें — सह सचिव
- उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग
- सहायक संचालक उद्यानिकी
- जिला परियोजना प्रबंधक, आजीविका मिशन

उपरोक्त सदस्यों के अतिरिक्त, समिति विषय विशेषज्ञों को भी बैठक में आमंत्रित कर सकेगी।

2. प्रत्येक अनुभाग स्तर पर ''अनुविभागीय गौ-शाला परियोजना क्रियान्वयन समिति'', (जिसे आगे **क्रियान्वयन समिति** कहा जाएगा) गठित जाये। समिति के सदस्य निम्नानुसार रहेंगे:-

- अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व — अध्यक्ष
- अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस
- अनुविभागीय अधिकारी, वन विभाग
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत — सदस्य सचिव
- सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
- सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
- अनुभाग अधिकारी/डी.ई. (ओ एण्ड एम) विद्युत वितरण कम्पनी

- पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी, पशुपालन विभाग — सह सचिव
- वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी
- वरिष्ठ उद्यानिकी अधिकारी
- विकासखण्ड प्रबंधक, आजीविका मिशन

3.1 जिला समन्वय समिति के दायित्व निम्नानुसार होंगे :-

3.1.1 जिले में निराश्रित गौवंश की जानकारी एकत्रित करना।

3.1.2 ऐसे संभावित क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करना जहां निराश्रित गौवंश की वजह से दुर्घटना की स्थिति संभावित है।

3.1.3 गौ-शाला के निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल का चयन करना।

3.1.4 गौ-शाला संचालन हेतु इच्छुक संस्थाओं से अभिरुचि प्राप्त करना तथा गौ-शाला के संचालन के लिये प्रभावी एजेंसी का चयन करना।

3.1.5 मॉडल एस्टीमेट को आधार बनाकर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार गौ-शाला के डी.पी.आर. का अनुमोदन करना। गौ-शाला निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति जिला कलेक्टर द्वारा जारी की जावेगी।

3.1.6 समस्त विभागों को गौ-शाला निर्माण एवं संधारण में उनके दायित्वों को स्पष्ट रूप से इंगित करना तथा उसका पालन सुनिश्चित करना।

3.1.7 परियोजना संचालन के लिये वित्तीय व्यवस्था का अनुश्रवण करना तथा वित्त की सामयिक उपलब्धता सुनिश्चित करना।

3.1.8 अन्य कोई प्रासंगिक विषय।

3.2 समिति द्वारा प्रत्येक माह में कम से कम एक बैठक करना अनिवार्य होगा। गौ-शालाओं के निर्माणाधीन अवधि में साप्ताहिक बैठक उपयुक्त रहेगी। बैठक आहुत करना, बैठक की कार्यवाही विवरण अभिलिखित करना एवं संधारित करना, सहसचिव का दायित्व होगा।

3.3 निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत होगी एवं चूंकि बड़ी संख्या में गौशाला का निर्माण एक साथ प्रारंभ होगा, इसलिए जिला कलेक्टर, कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधीन एक समिति गठित करेंगे जो गौशाला निर्माण का सतत् निरीक्षण तथा मूल्यांकन करते रहेंगे। गौशाला निर्माण की गुणवत्ता के लिये यह समिति उत्तरदायी होगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रत्येक सप्ताह इस समिति के साथ बैठक करेंगे तथा समीक्षा करेंगे।

4.1 क्रियान्वयन समिति (अनुविभाग स्तरीय) के दायित्व निम्नानुसार होंगे-

4.1.1 गौ-शाला निर्माण और संचालन की सतत निगरानी एवं अनुश्रवण।

4.1.2 अनुविभागीय स्तर पर विभागों के बीच समन्वय एवं स्थानीय समस्याओं का निराकरण।

4.1.3 जिला समन्वय समिति के निर्देशों का पालन व क्रियान्वयन।

5. जिलेवार निराश्रित गौवंश की संख्या पशुपालन विभाग द्वारा दी गई है एवं इसी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जिले को गौ-शाला निर्माण एवं संचालन के लक्ष्य **परिशिष्ट-'एक'** में संलग्न है। यदि इन लक्ष्यों में जिला परिवर्तन करवाना चाहे तो 12.02.2019 तक इसकी जानकारी आयुक्त मनरेगा ग्रामीण विकास विभाग को भेज देवें। इन गौ-शाला परियोजना के अंतर्गत निर्मित गौ-शालाओं की कार्यविधि एवं न्यूनतम मानकों के संबंध में विस्तृत निर्देश पशुपालन विभाग द्वारा जारी किये जा चुके हैं।

6. गौ-शालाओं के निर्माण में लगने वाली राशि मनरेगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, वन विभाग, चारागाह विकास योजना की राशि तथा राज्य स्तर पर उपलब्ध पंचायत निधि एवं जिला/जनपद/ग्राम पंचायत में उपलब्ध निधि से किया जा सकेगा।

7. ग्राम पंचायत गौ-शाला का निर्माण करने के साथ-साथ उसके संचालन के लिये भी उत्तरदायी होगी। विभिन्न मदों यथा चारा/भूसा की व्यवस्था, संधारण तथा अनुरक्षण आदि के लिए आवश्यक राशि पंच परमेश्वर पोर्टल के माध्यम से ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जावेगी।

8. ग्राम पंचायत अगर गौशाला का संचालन किसी संस्था के माध्यम से करना चाहे तो वह समन्वय समिति को सूचित करेंगी। समन्वय समिति द्वारा संस्था की दक्षता एवं निष्ठा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जायेगा। ग्राम पंचायत को निम्न संस्थाओं के माध्यम से गौ-शाला संचालित करने की अनुमति समन्वय समिति द्वारा दी जा सकेगी:-

क. आजीविका मिशन के महिला स्व-सहायता समूह।

ख. स्वयंसेवी संस्था।

स्व-सहायता समूह अथवा स्वयंसेवी संस्था, जिसे संचालन का दायित्व सौंपा गया हो, उसे आवश्यक भुगतान ग्राम पंचायत ही करेगी। ग्राम पंचायत तथा ऐसी संस्था के बीच निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित किया जावेगा।

ग्राम पंचायत यह सुनिश्चित करेगी कि गौ-शाला संचालन तथा चारागाह विकास में मनरेगा की स्वीकृत डी.पी.आर. के अनुसार वर्ष भर निर्धारित संख्या में श्रमिक उपलब्ध रहे।

9. गौ-शाला जिस पंचायत में स्थित रहेगी, उसके आस-पास की पंचायतों तथा नगरीय क्षेत्रों के गौवंश को भी वहां आश्रय दिया जा सकेगा। परन्तु यह ध्यान रखा जाये कि गौ-शाला की क्षमता से अधिक संख्या में किसी भी स्थिति में मवेशी नही रखें जावें। इस संबंध में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उसका तत्काल समाधान करेंगे।

10. गौ-शाला के स्थल चयन करते समय निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखें:-

10.1 गौ-शाला एवं चारागाह के लिए भूमि की उपलब्धता। 100 गौवंश की गौ-शाला के लिए लगभग 1 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी तथा न्यूनतम 5 एकड़ भूमि चारागाह विकास के लिए आवश्यक होगी।

10.2 संचालन करने वाली एजेंसी की दक्षता।

10.3 संबंधित क्षेत्र में निराश्रित गौवंश की संख्या।

10.4 राज्य/राष्ट्रीय मार्ग की नजदीकी।

10.5 स्थल चयन करते समय ध्यान रखें कि परियोजना की परिकल्पना प्रति गौ-शाला में लगभग 100 गौवंश की क्षमता के आधार पर की गई है। अत: गौवंश इतनी संख्या में उपलब्ध रहे, ताकि गौ-शाला की क्षमता का पूरा उपयोग हो।

11. गौ-शाला के निर्माण तथा चारागाह के विकास में जो शासकीय भूमि उपयोग होगी, उसका स्वामित्व शासन का ही रहेगा। उसे किसी स्थानीय निकाय को आवंटित करने की आवश्यकता नहीं है। यह भूमि मात्र प्रयोजन के उपयोग के लिए ग्राम पंचायत को दी जावेगी।

12. गौ-शाला निर्माण एवं चारागाह विकास हेतु मॉडल डी.पी.आर. एवं अभिसरण के निर्देश पृथम से जारी किये जा रहे हैं। अभिसरण में मनरेगा की राशि का उपयोग कर कार्य तत्काल प्रारंभ किया जा सकता है। अत: स्थल चयन कर कार्य 20 फरवरी 2019 तक शुरू कर दिया जावे।

13. पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत गौ-शाला परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राशि व्यय करने के संबंध में विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किये जा रहे हैं।

14. भूसा क्रय करने के लिए आवश्यक राशि गौ-शाला प्रबंधन एजेंसी को उपलब्ध कराने के संबंध में विस्तृत निर्देश पशुपालन विभाग द्वारा पृथक से जारी किये जा रहे हैं।

15. माह मार्च में गौ-शाला प्रबंधक एजेंसी संचालक/सदस्यों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किये जावेंगे, जिसकी समय सारिणी पशुपालन विभाग द्वारा जारी की जा रही है।

16. गौ-शालाओं के प्रबंधन, अनुश्रवण एवं समस्या निवारण के लिए पृथक से ऑनलाइन सिस्टम पशुपालन विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है।

17. गौ-शाला प्रबंधन में संधारित करने वाले अभिलेखों के विस्तृत प्रारूप एवं निर्देश पशुपालन विभाग द्वारा पृथक से भेजे जावेंगे। संचालन एजेंसी को विभिन्न मदों से जो राशि गौ-शाला के प्रबंधन के लिए दी जावेगी उसे जारी करने, उसका लेखा संधारित करने के निर्देश भी जारी किये जावेंगे।

18. गौ-शाला परियोजना हेतु विभिन्न संस्थाओं/व्यक्तियों आदि से गौ-शाला के संचालन अथवा उसके निर्माण के लिए सामग्री या राशि के रूप में सहयोग लिया जा सकता है। सहयोग के रूप में प्राप्त की गई राशि (चेक/ड्राफ्ट) जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्द्धन समिति के खाते में जमा कर संबंधित गौ-शालाओं को दी जावेगी तथा समस्त रिकार्ड का संधारण जिला समन्वय समिति के सह सचिव द्वारा किया जाएगा।

19. परियोजना में जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श कर उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए।

20. उपरोक्त निर्देशों के अनुसार एक सप्ताह में जिला एवं अनुविभागीय स्तरीय समितियों का गठन कर बैठक आयोजित करना सुनिश्चित की जाये।

(गौरी सिंह)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश

परिशिष्ट-एक

गौ-शाला परियोजना हेतु जिलेवार लक्ष्य

क्र.	जिले का नाम	निराश्रित गौ-वंश की संख्या	गौ-शाला का लक्ष्य	क्र.	जिले का नाम	निराश्रित गौ-वंश की संख्या	गौ-शाला का लक्ष्य
1.	सतना	85000	30	27.	दमोह	10326	21
2.	छतरपुर	67000	30	28.	उज्जैन	8410	24
3.	रीवा	66225	30	29.	होशंगाबाद	7000	14
4.	टीकमगढ़	35000	30	30.	सीहोर	6850	15
5.	राजगढ़	28000	30	31.	सीधी	6500	15
6.	ग्वालियर	22500	30	32.	अनूपपुर	5134	12
7.	कटनी	21738	30	33.	धार	4500	13
8.	शिवपुरी	19887	30	34.	डिण्डोरी	4372	7
9.	अशोकनगर	19000	30	35.	बैतूल	3700	10
10.	छिंदवाड़ा	18957	30	36.	खरगौन	3131	9
11.	मंदसौर	18675	30	37.	नीमच	3000	6
12.	सागर	18000	30	38.	सिवनी	2500	8
13.	गुना	17500	30	37.	खण्डवा	2300	7
14.	भिण्ड	17470	30	40.	रतलाम	2012	6
15.	रायसेन	15343	30	41.	हरदा	2000	3
16.	जबलपुर	14990	30	42.	इंदौर	1982	20
17.	मुरैना	14896	30	43.	शहडोल	1500	8
18.	श्योपुर	14500	30	44.	मण्डला	1350	6
19.	विदिशा	14447	30	45.	सिंगरौली	1280	5
20.	दतिया	13751	30	46.	बड़वानी	1000	5
21.	नरसिंहपुर	13000	30	47.	उमरिया	941	4
22.	देवास	12400	30	48.	बुरहानपुर	835	3
23.	शाजापुर	12000	30	49.	बालाघाट	400	5
24.	पन्ना	12000	30	50.	झाबुआ	370	3
25.	आगर	11305	30	51.	अलीराजपुर	134	1
26.	भोपाल	11000	20		**कुल**	**696111**	**1000**